एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड

(एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी)

fo"k; lph

		i"B l-
1	निदेशक मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	10
4.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	11
5.	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	28
6.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता	29
7.	नकदी प्रवाह विवरणी	30
8.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां	31

fun'kd eMy ¼27-04-2015 dk½

श्री रोहित नन्दन vè;{k

श्री एस. वेंकट

श्री पंकज श्रीवास्तव

सुश्री मीनाक्षी दुआ

कप्तान ए.के. गोविल

डॉ. (श्रीमती) शेफाली जुनेजा

सुश्री पूजा जिंदल

y[kk ijh{kd

मैसर्स चन्द्र गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट,
ई–103, पाम कोर्ट अपार्टमेंट
प्लॉट नं.–3, सेक्टर–19बी, द्वारका
नई दिल्ली–110 075

iathd`r dk;kZy;

ओल्ड लुफ्थांसा हैंगर बिल्डिंग
(कार्यपालक निदेशक–उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय के समीप)
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, टर्मिनल–1
नई दिल्ली–110 037.

fun’kdk dh fjikV

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. के लेखा परीक्षित, लेखा विवरण सहित 31वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष के दौरान कम्पनी को 249.40 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 133.39 करोड़ रु.) की निवल हानि हुई है, इस हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

- यात्री वहन में 0.028 मिलियन (0.392 मिलियन की तुलना में 0.364 मिलियन) की कमी और यात्री यील्ड में 247 रु. (5592 रु. की तुलना में 5345 रु.) की कमी के कारण यात्री राजस्व में 24.80 करोड़ (219.35 करोड़ की तुलना में 194.55 करोड़) की कमी आई।
- वर्ष के दौरान प्राप्त अतिरिक्त इनवेंटरी हेतु, विमान रोटेबल्स, नॉन–रोटेबल्स व विशेष औजारों के अप्रचलन के कारण प्रावधान में 8.16 करोड़ की वृद्धि।
- 01 यूएस डालर की विनिमय दर में वृद्धि 54.80 से बढ़कर 60.49 रु. (10.38% वृद्धि), विमान लीज़, विमान अनुरक्षण, पायलटों का एसआईएम प्रशिक्षण इत्यादि की 50% प्रचालन लागत विदेशी मुद्रा में खर्च की गई।
- होल्डिंग कंपनी द्वारा हैंडलिंग प्रभार में संशोधन के कारण हैंडलिंग प्रभार में 1.29 करोड़ रु. की वृद्धि।
- 31 मार्च, 2014 की बकाया राशि पर ब्याज के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा 71.96 करोड़ रु. की राशि डेबिट की गई।

foÙkh; ,o okLrfod fu"iknu

गत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन इस प्रकार रहे :–

foÙkh; fu"iknu

¼#Ik, djkM+ e½

	2013&14	2012–13
प्रचालन राजस्व	196-74	222.13
यात्री राजस्व (एटीआर और सीआरजे)	194-55	219.35
अन्य प्रचालन राजस्व	2-19	2.78
अन्य आय	45-65	47.29
dqy jktLo	242-39	269.26
कुल व्यय	491-79	402.65
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	¼249-40½	(133.39)
वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ (हानि)	¼249-40½	(133.39)
शेयर पूंजी	2-25	2.25

OkkLrfod fu"iknu

	2013&14	2012–13
ए.एस.के.एमएस (मिलियन में)	340-892	401.440
आर.पी.के.एमएस (मिलियन में)	249-576	284.466
वहन किए गए यात्री (मिलियन में)	0-364	0.392
सीट घटक (%)	73-2	70.9
भार घटक (%)	61-6	60.7

’k;j iath

ikfèkd`r iath

31.03.2014 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रु. है जो 100/–रु. प्रति के 500,000 शेयरों में विभाजित है।

tkjh] vfHknÙk vkj inÙk iath

31 मार्च, 2014 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 2.25 करोड़ रु. है जो 100/–रु. प्रति के 225,000 पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कम्पनी की संपूर्ण शेयर पूंजी होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया द्वारा रखी गई है।

foeku cMs dh fLFkfr

वर्ष के अन्त में कम्पनी के विमान बेड़े में लीज़ पर 08 विमान थे जिनकी स्थिति इस प्रकार हैः–

foeku dk idkj	foekuk dh l[;k	
एटीआर–42–320	04	मैसर्स अबरिक लीज़िग लि. आयरलैंड से लीज़ पर
बोम्बारडियर सीआरजे 700	04	विभिन्न ओवरसीज़ लीज़कर्ताओं से लीज़ पर

uVod@u, ekxl

वर्ष के अंत तक कम्पनी के नेटवर्क पर 24 अन्तर्देशीय स्टेशन और कम्पनी द्वारा लगभग 180 उड़ानें (एटीआर 112+सीआरजे 68 उड़ानें/साप्ताहिक) साप्ताहिक प्रचालित की जा रही हैं।

rduhdh fo'oluh;rk

वर्ष 2013–14 के दौरान विमानानुसार कम्पनी की तकनीकी विश्वसनीयता इस प्रकार रही :

क)	एटीआर 42–320	98.96
ख)	सीआरजे –700	99.07

foeku mi;kfxrk

वर्ष 2013–14 के दौरान विमान उपयोग इस प्रकार रहा :

क)	एटीआर 42–320	8072 : 57 FH
ख)	सीआरजे –700	6176 : 38 FH

वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित नए मार्गों पर सेवाएं आरंभ की हैं/अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की हैं :–

¼d½ ,Vhvkj foeku ls%

- दिल्ली/कानपुर/दिल्ली – साप्ताहिक 2 उड़ानें
- दिल्ली/कुल्लू/दिल्ली – साप्ताहिक 6 उड़ानें
- दिल्ली/देहरादून/दिल्ली–फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर साप्ताहिक 11 बार (सप्ताह में 4 बार एटीआर के साथ) इसके अतिरिक्त सप्ताह में 7 बार सीआरजे के साथ
- दिल्ली/धर्मशाला/दिल्ली–साप्ताहिक 7 उड़ानें
- बेंगलूरु/कोच्चि/बेंगलूरु–फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर साप्ताहिक 9 उड़ानें/साप्ताहिक 6 उड़ानों के स्थान पर
- कोलकाता/शिलांग/कोलकाता (पुनः प्रारंभ) 10 जुलाई, 2013 से साप्ताहिक 5 उड़ानें

¼[k½ lhvkjts foeku ls%

- देहरादून/लखनऊ/देहरादून–साप्ताहिक 3 उड़ानें
- दिल्ली/इलाहाबाद/मुम्बई एवं वापसी–सप्ताहिक 4 उड़ानें
- मार्ग पुनः संरचित दिल्ली/इलाहाबाद/मुम्बई एवं वापसी के स्थान पर मुम्बई/इलाहाबाद/मुम्बई–साप्ताहिक 4 उड़ानें
- मुम्बई/ग्वालियर/मुम्बई–साप्ताहिक 2 उड़ानें
- मुम्बई/आगरा/मुम्बई–साप्ताहिक 2 उड़ानें
- दिल्ली/जबलपुर/दिल्ली एटीआर के स्थान पर सीआरजे में अपग्रेडिड साप्ताहिक 3 उड़ानें

mŸkj iwoZ esa ipkyu

एलाइंस एयर ने उत्तर पूर्व कांउसिल (एनईसी) के साथ एमओयू के तहत, जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी वायु सेवाएं प्रचालित की। एनईसी द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) वापिस ले ली गई, उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु एटीआर प्रचालनों को पुनः संरचित कर आगे जुलाई, 2013 से मई, 2014 की अवधि के लिए प्रचालित किया गया और अंततः जून, 2014 में प्रचालन रोक दिया गया।

उत्तर पूर्व कांउसिल द्वारा मामले की पुनःसमीक्षा की गई और तत्पश्चात् 01 अगस्त, 2014 से एलाइंस एयर द्वारा निम्नलिखित उत्तर पूर्व क्षेत्रों हेतु एटीआर विमान से प्रचालन पुनः प्रारंभ कर दिया गया।

कोलकाता/शिलांग/कोलकाता–साप्ताहिक 6 उड़ानें
कोलकाता/गुवाहाटी/लीलाबारी एवं वापसी–साप्ताहिक 4 उड़ानें
कोलकाता/सिल्चर/तेजपुर एवं वापसी–साप्ताहिक 3 उड़ानें

y{k}hi ¼vxkrh½ esa izpkyu

लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा वीजीएफ के अनुदान दिए जाने के समझौते के तहत एलाइंस एयर द्वारा एटीआर विमान से अगाती व मेनलैंड के बीच उड़ान प्रचालन किया जा रहा है।

वर्तमान समयावली में एलाइंस एयर एटीआर विमान से बेंगलूरू/कोच्चि/अगाती/कोच्चि/बेंगलूरू मार्ग पर साप्ताहिक 6 उड़ानें प्रचालित कर रही है।

Hkkstu lsok,@fdQk;rh mik;

एलाइंस एयर द्वारा 1 अगस्त, 2013 से अपनी उड़ानों पर बाय ऑन बोर्ड सेवा प्रारंभ की गई जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2014 तक लगभग 1.51 करोड़ रु. की बचत हुई।

एलाइंस एयर की उड़ानों पर राजस्व भागीदारी आधार पर बाय ऑन बोर्ड के संदर्भ में आरएफपी जारी किया गया और बीओबी केटरिंग के प्रावधान की दीर्घावधि व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बिड आंमत्रित की गई। तद्नुसार न्यूनतम बिड के आधार पर एम्बैसडर स्काई शेफ को लाभकारी लॉयल्टी भागीदारी व्यवस्था के अधीन शॉर्ट लिस्ट किया गया।

ekuo lalk/ku

वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारियों की संख्या 938 (1005) थी जिसमें मूल कम्पनी एअर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर आए 23 (25) कर्मचारी भी शामिल हैं। उपरोक्त में से 532(497) कर्मचारियों की सेवाएं एअर इंडिया को स्थानांतरित की गई हैं। इस प्रकार कम्पनी के पास अपने प्रचालन कार्यों के लिए वर्ष के अंत में 406 (483) कर्मचारी रहे। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 915 संविदात्मक कर्मचारियों में से 386 ¼42-18%½ महिला कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2014 को कैडर वार कम्पनी में 68 पायलट, 458 केबिन कर्मी, 98 इंजीनियर, 71 तकनीशियन और 220 अन्य वर्गों के कर्मचारी रहे। कम्पनी, एअर इंडिया की आवश्यकतानुसार केबिन कर्मियों व अन्य मानव संसाधन की पूर्ति कर रही है।

31 मार्च, 2014 तक एएएसएल द्वारा एअर इंडिया में प्रतिनियुक्ति पर 532 कर्मचारियों (407 केबिन क्रू, 39 वीएचएफ प्रचालक, 55 स्थल एवं अन्य वाणिज्य और 31 सुरक्षा एटेंडेंट) की तैनाती की गई।

चूंकि इस क्षेत्र में कम्पनी इन–हाउस विशेषज्ञता विकसित नहीं कर सकी, अतः नियामक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम्पनी द्वारा एअर इंडिया से सेवानिवृत्त 4 कर्मचारियों को उनकी योग्यता और दीर्घकालिक अनुभव को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण पदों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया।

31 मार्च, 2014 को कम्पनी में 8 विदेशी पायलट हैं जिसमें 7 एटीआर पर व 1 सीआरजे पर कमांडर हैं। इन सात में से चार प्रशिक्षक कप्तान हैं, कम्पनी का प्रयास है कि विमान बेड़े के अनुपात में कमांडरों की न्यूनतम आवश्यक क्षमता को बनाए रखने के लिए विदेशी पायलटों की संख्या न्यूनतम रखी जाए। पी2 वर्ग में कोई भी विदेशी पायलट नहीं है।

bathfu;jh ,oa vuqj{k.k lacèkh xfrfofèk;ka

,Vhvkj 42&320 foeku

एटीआर 42–320 विमानों की अनुरक्षण गतिविधियों के लिए कोलकाता मुख्य इंजीनियरी बेस है। विमान को निरन्तर उड़ान योग्य बनाए रखने हेतु विशेष जांच, ट्रबल शूटिंग/अनुरक्षण मैनुअल के अनुसार स्नैग सुधार सहित अनुसूचित लाइन मेनटेनेंस और प्रमुख अनुरक्षण गतिविधियां ('4सी' चैक तक अर्थात् 16000 उड़ान घंटे) इन–हाउस पूरी की जा रही हैं। बेस में प्रमुख अनुरक्षण कार्यों जिसमें विमान के मुख्य उपकरणों जैसे इंजन, लैंडिंग गियर, प्रोपेलर इत्यादि को बदलने और ढांचागत मरम्मत आदि के लिए क्षमता है। '1सी' चैक (4000 उड़ान घंटे) '2सी' चैक (8000 उड़ान घंटे) '4सी' चैक (16000 उड़ान घंटे) और 8 वर्षीय चैक के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा क्षमता को विकसित किया गया है। वातावरण क्षति (कोरोज़न्स) और फटीग क्षति जॉच के द्वारा विमान की ढांचागत सुव्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

एटीआर विमान दिल्ली और बेंगलूरू से भी प्रचालित किए जा रहे हैं तथा दिल्ली बेस में एटीआर 42–320 विमानों पर '3ए' चैक तक अनुरक्षण की क्षमता है।

ckWEckjfM;j lhvkjts 700 foeku

सीआरजे 700 विमानों की अनुरक्षण गतिविधियों के लिए दिल्ली मुख्य इंजीनियरी बेस है। मुख्य बेस में '6 ए' चैक तक करने के लिए ढांचागत सुविधाएं और क्षमताएं हैं। लीज़ व्यवस्थाओं की अपेक्षाओं के अनुसार सीआरजे 700 विमान की भारी मरम्मत ('सी' चैक) को एफएए/ईएएसए अनुमोदित एमआरओ को आऊटसोर्स किया गया है।

ckgjh LVs'kuksa ij <kpkxr lfoèkk,

आवश्यक लाइन अनुरक्षण अंतसंरचना, विशेष रूप से ट्रांजिट अनुरक्षण सुविधा को विकसित किया गया है। आवश्यक होने पर एअर इंडिया लि. से सहायता ली जाती है।

foekuu] itko vU; vfèk'k"k@vipfyr ifjlifÙk;kå] ;fn dkbl gk] dk fuiVku o okilh

लीज़ अवधि समाप्त हो जाने के कारण मैसर्स अबरिक लीजिंग से लीज़ पर लिए गए 3 एटीआर 42–320 विमान उन्हें लौटा दिए गए हैं।

rduhdh if'k{k.k

एटीआर 42–320 और सीआरजे–700 दोनों प्रकार के विमानों के इंजीनियरों हेतु टाइप पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम एअर इंडिया इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल द्वारा इन–हाउस दिए जा रहे हैं।

bthfu;jks gr vk;kftr if'k{k.k dk;Øeka dk C;kjk

orfeku ea cMs ea miyCèk o foeku cMs ea 'kkfey gkus oky foekuks gr if'k{k.k dk;Øe fuEukuqlkj g&

एटीआर 72–600 विमान हेतु एएमई के एक बैच को एटीसी टूलूस, फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया है। इंजीनियरी प्रशिक्षण स्कूल एअर इंडिया लि. से इंजीनियरी कार्मिकों व अनुदेशकों के अनुगामी बैचों को यथासमय प्रशिक्षित किया जाएगा।

एलाइंस एयर द्वारा दिसम्बर, 2014 से एटीआर 72–600 विमानों को, विमान बेड़े में शामिल किया जा रहा है। नवम्बर, 2014 से टूलूस स्थित एटीआर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति विमान कॉकपिट क्रू के 4 सैट प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। 3 अनुदेशकों व 2 डिस्पैचरों को प्रशिक्षण हेतु टूलूस भेजा जा रहा है ताकि वे आगे पायलटों, केबिन कर्मियों व फ्लाइट डिस्पैचरों को इन–हाउस प्रशिक्षण दे सकें।

mM~ku lqj{kk

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार अग्रसक्रिय तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग, एयरलाइन के लिए निवारक और अन्वेषणात्मक दोनों प्रकार के कार्य करता है। निवारक कार्यों में नियमित अंतराल पर कॉकपिट वॉइस रिकार्डर मॉनीटरिंग, फ्लाइट डाटा रिकार्डर मॉनीटरिंग और एयरलाइन द्वारा प्रचालित स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है जिसमें एयरफील्ड जांच, स्पॉट चैक, रैम्प जांच तथा कॉकपिट निगरानी शामिल है।

रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं की कम्पनी के स्थायी जॉच बोर्ड (पीआईबी) द्वारा जांच की जाती है तथा पीआईबी की सिफारिशों को पुनरावृति से बचाव हेतु प्रचालन प्रक्रिया और नीति में शामिल किया जाता है। जांच, डीजीसीए के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर की जाती है और वित्तीय वर्ष 2013–14 में कोई भी पीआईबी मामला लंबित नहीं है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सीआरजे–700 विमान और एटीआर 42–320 विमान पर गंभीर घटना के रूप में वर्गीकृत कोई भी घटना नहीं हुई है। विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं :

- उड़ानों की निगरानी रखने के प्रमुख कार्य सहित, उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन (FOQA) कार्यक्रम। उड़ानों के प्रचालन में कोई असंगति पाई जाने पर संबंधित प्रचालन क्रू की कांउसिलिंग की जाती है।
- नियामक मानकों के अनुसार इंसीडेंट के रूप में वर्गीकृत उड़ान घटना की जांच पड़ताल डीजीसीए के वायु सुरक्षा निदेशालय के सहयोग से एयरलाइन के जांच बोर्ड (Investigation Board) द्वारा की जाती है।
- जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को, लागू सिफारिशों के अनुपालन हेतु भेजा जाता है।
- एयरलाइन के पास फ्लाइट डाटा रिकार्डर से डाटा डाउनलोड करने की सुविधा है और उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा इसकी मानीटरिंग की जाती है।
- एयरलाइन के सुरक्षा मूल्यांकनों के लिए नियमित रूप से आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किया जाता है और संबंधित विभागों और डीजीसीए को इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है।
- सीआरजे 700 और एटीआर 42–320 विमान बेड़े की लोड और ट्रिम शीट की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जाती है।
- रैम्प जांच/बेस स्टेशनों/लाइन स्टेशनों की यादृच्छिक स्पॉट जांच की जाती है।
- लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच डीजीसीए के निदेशों के अनुसार की जाती है।
- वालंटियर रिपोर्टिंग प्रणाली व पायलट वोएज रिपोर्ट के संबंध में सुरक्षा उपायों हेतु सेफ्टी एक्शन ग्रुप (एसएजी) की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- पायलटों की कांउसिलिंग के समय डीजीसीए की वार्षिक उड़ान सुरक्षा समीक्षा की सिफारिशों पर बल दिया जाता है।

if’k{k.k

वर्ष के दौरान, एलाइंस एयर द्वारा 3 एटीआर सह विमानचालकों को कमांडर के रूप में और 2 सीआरजे सह विमानचालकों को कमांडर के रूप में संपरिवर्तित किया गया। एटीआर विमान के 2 सह विमानचालक कमांडर के रूप में अपग्रेड होने के विभिन्न चरण में हैं। हमारे योजनाबद्ध प्रशिक्षण उपायों और कुछ सह विमानचालकों के कमांडर के रूप में संपरिवर्तित होने के परिणामस्वरूप हम प्रशिक्षक/परीक्षक सहित कमांडर वर्ग के विदेशी विमान चालाकों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर रखने में सफल रहे।

buoVjh fu;=.k

विमान इनवेंटरी, जिसमें विमान पूर्जे व उपभोज्य मदें सम्मिलित हैं, को रैम्को द्वारा विकसित ईआरपी पैकेज के द्वारा मॉनीटर व नियंत्रित किया जाता था जो अब एअर इंडिया लि. के लिए समन्वित इनवेंटरी रखता है, जिसका प्रयोग एअर इंडिया लि. व एएएसएल हेतु किया जाता है। एएएसएल हेतु आवश्यक इनवेंटरी की प्राप्ति व नियंत्रण प्रक्रिया एअर इंडिया लि. के अनुसार की जाती है।

Hkfo"; dk ifji{;

foeku mi;kx] bthfu;jk dh miyCèkrk] u, ekx@lok,] lokvk dk mi;kx bR;kfn d fo’k"k lnHk e o foeku cMk foLrkj gr ;ktuk lfgr o"k 2014&15 gr ;ktukA

एएएसएल के निदेशक मंडल के निदेश पर 8 नए एटीआर 72–600 विमानों को 10–12 वर्ष की अवधि हेतु, लीज़ पर लिए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इनमें से 5 एटीआर 72–600 विमानों के लीज़ करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं तथा शेष 3 एटीआर 72–600 विमानों के टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन जारी है। साथ ही एअर इंडिया लि. की टर्न अरांउड योजना (टीएपी) के अनुसार वर्ष 2015 तक एलाइंस एयर के विमान बेड़े में 15 टर्बो प्रॉप विमान होंगे।

वर्ष के प्रारंभ में कम्पनी के विमान बेड़े में 11 विमान थे जिसमें 7 एटीआर 42–320 व 4 सीआरजे 700 हैं। वर्ष के दौरान 7 एटीआर विमानों में से अब तक 3 वापिस लौटाए जा चुके हैं। वर्ष के अंत में कम्पनी के विमान बेड़े में लीज़ पर लिए गए 8 विमान शामिल हैं जिसमें से 4 एटीआर 42–320 और 4 सीआरजे 700 विमान हैं।

2014&15 gr ;ktuk&iLrkfor u, ekx

एएएसएल के विमान बेड़े में 8 नए एटीआर 72–600 विमानों को शामिल करने के अनुरूप ही नए मार्ग भी प्रस्तावित हैं। चरणबद्ध रूप से जिन मार्गों पर प्रचालन आरंभ किया जाना है, उनकी सूची संलग्न है। मार्गों का निर्धारण, आर्थिक व्यवहार्यता, टायर II व टायर III मार्गों पर और वायु संपर्क उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता व साथ ही वर्तमान मार्गों को उन्नत करने व उन पर नए व बेहतर विमान उपलब्ध करवाने के आधार पर किया गया। जिन मार्गों पर एटीआर 42 विमान द्वारा प्रचालन किया जा रहा था उन्हें उन्नत कर अधिक सीट क्षमता वाले एटीआर 72–600 विमान द्वारा प्रचालन किया जाएगा।

fgUnh dk iz;kx

सरकार की राजभाषा नीति के उद्‌देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, कविता पाठ आदि में उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए।

jkt dk"k e va’knku

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 4.55 करोड़ रुपए (4.88 करोड़ रुपए) का अंशदान दिया गया।

vk|kfxd lcèk

वर्ष के दौरान कम्पनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

deZpkfj;k dk C;kjk

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) तथा कम्पनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम 1975 के अनुसरण में कर्मचारियों से संबंधित सूचना, रिपोर्ट में संलग्न है।

fun’kdk dk nkf;Ro lcèkh oDrO;

आपके निदेशक पुष्टि करते हैं :–

i) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ii) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं 31 मार्च, 2014 को कम्पनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

iii) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने एवं अन्य अनियमितताओं को निदेशकों के ज्ञान व योग्यता के अनुसार रोकने एवं पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए, निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

y[kk ijh{kk lfefr

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति के गठन को हाल ही में 24 दिसम्बर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 133वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया। सदस्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

श्रीमती (डॉ) शेफाली जुनेजा	–	अध्यक्ष
सुश्री पूजा जिंदल	–	सदस्य
श्री एस. वेंकट	–	सदस्य
श्री रोहित नन्दन	–	स्थायी आमंत्रित

lkafofèkd y[kk ijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा मैसर्स चन्द्र गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स को वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

y[kk ijh{kdksa dh fjikVZ

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की हैं।

funs'kd eaMy

वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गई। 31 मार्च, 2014 को कंपनी के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य थे :–

i)	श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
ii)	श्रीमती (डॉ.) शेफाली जुनेजा निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
iii)	सुश्री पूजा जिंदल निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
iv)	श्री एस. वेंकट निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक
v)	श्री पंकज श्रीवास्तव निदेशक (वाणिज्य), एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक
vi)	कप्तान एस.पी.एस. सूरी कार्यपालक निदेशक – प्रचालन, एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक
vii)	श्री पंकज कुमार कार्यपालक निदेशक– उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक

कंपनी के वर्तमान निदेशक मण्डल में 31 जनवरी, 2015 को निम्नलिखित सदस्य थे :–

i)	श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
ii)	श्रीमती (डॉ.) शेफाली जुनेजा निदेशक (वित्त), नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक

iii)	सुश्री पूजा जिंदल निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
iv)	श्री एस. वेंकट निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक
v)	श्री पंकज श्रीवास्तव निदेशक (वाणिज्य), एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक
vi)	श्रीमती मीनाक्षी दुआ कार्यपालक निदेशक–उत्तरी क्षेत्र, एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक
vii)	कप्तान ए.के. गोविल कार्यपालक निदेशक–प्रचालन, एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक

1 अगस्त, 2014 से श्री पंकज कुमार की निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हो गई व श्रीमती मीनाक्षी दुआ, कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को डीआईएन आंबटित किए जाने की तिथि 21–10–2014 से बोर्ड पर नियुक्त किया गया।

30 नवम्बर, 2014 से कप्तान एस.पी.एस सूरी की निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हो गई व कप्तान ए.के. गोविल, कार्यपालक निदेशक (प्रचा.) को डीआईएन आबंटित किए जाने की तिथि 31 दिसम्बर, 2014 से बोर्ड पर नियुक्त किया गया।

निदेशक मण्डल, श्री पंकज कुमार और कप्तान एस.पी.एस. सूरी द्वारा अपने कार्यकाल में निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं की सराहना करता है।

èkU;okn iLrko

निदेशक मंडल, नागर विमानन मंत्रालय, एअर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त सहयोग, मार्ग दर्शन एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों द्वारा निरन्तर किए जाने वाले समर्पित प्रयासों की भी सराहना करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26 फरवरी, 2015

31 ekp] 2014 dk lekIr o"k dh fun'kdk dh fjikVZ d Hkkx d :i e rFkk diuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 217 ¼2,½ ,o dEiuh ¼delpkfj;k dk fooj.k½ fu;e 1975 d v/khu delpkfj;k dk C;kjk lc/kh fooj.k

**ijo o"k d fy, fu;Dr delpkjh^^

Ø-l-	dkM	uke	;kX;rk	inuke	vk;q	dk;Zxg.k dh frFk	vfUre fu;kDrk	dk;Z dh idfr	dqy oru ¼#-½	TkUe frFk
1	11386	कप्तान राज कुमार राणा	एम.एस.सी	वरि. कप्तान–सीआरजे	48	29.11.2006	लागू नहीं	उड़ान	6706929	23.03.1966
2	11449	कप्तान प्रशांत शर्मा	बी. एस.सी	वरि. कप्तान–सीआरजे	40	29.10.2005	लागू नहीं	उड़ान	7640776	27.09.1973
3	60423	कप्तान नवीन सरोहा	बी. ए.	वरि. कप्तान–सीआरजे	37	29.08.2006	लागू नहीं	उड़ान	6395185	13.02.1977
4	60459	कप्तान संदीप सिंह गिल	बी. एस.सी	वरि. कप्तान–एटीआर	49	01.06.2007	लागू नहीं	उड़ान	5365398	01.01.1965
5	60465	कप्तान राकेश कुमार	बी. ए.	वरि. कप्तान–एटीआर	50	29.05.2007	लागू नहीं	उड़ान	5087197	02.02.1964
6	60492	कप्तान सत्यवीर	बी. ए.	वरि. कप्तान–एटीआर	41	20.07.2007	लागू नहीं	उड़ान	4836752	05.05.1972
7	60561	कप्तान प्रदीप शर्मा	एम.एस.सी बीई (एयरो)	वरि. कप्तान–एटीआर	60	10.11.2008	लागू नहीं	उड़ान	7891387	24.05.1953
8	60714	कप्तान विनय कुमार सिंह	बी. ए.	वरि. कप्तान–एटीआर	48	07.05.2010	लागू नहीं	उड़ान	5774755	17.03.1966
9	60846	कप्तान उर्मिला यादव	एम. ए	वरि. कप्तान–एटीआर	52	06.02.2011	लागू नहीं	उड़ान	4534234	12.02.1962
10	60729	कप्तान अमर कुमार खोसिनम सिंह	बी.एस.सी	वरि. कप्तान–एटीआर	50	05.07.2010	लागू नहीं	उड़ान	5126690	06.01.1964
11	60603	कप्तान समीर मेहता	बी.एस.सी	वरि.कप्तान–एटीआर	29	30.03.2009	लागू नहीं	उड़ान	4160016	12.12.1984
12	85013	कप्तान ब्रह्म प्रकाश	एम.एस.सी	वरि. कप्तान–सीआरजे	57	12.01.2008	लागू नहीं	उड़ान	4779827	01.07.1957
13	98002	कप्तान बिराज बिक्रम शाह	विदेशी पायलट	कमांडर	48	16.07.2007	लागू नहीं	उड़ान	6929215	22.07.1967
14	98007	कप्तान सुनील ओली	विदेशी पायलट	कमांडर	52	18.03.2010	लागू नहीं	उड़ान	6327320	04.04.1962
15	98008	कप्तान अडुअर्डो एनरिक अलवरादो पाइंडा	विदेशी पायलट	कमांडर	48	10.12.2011	लागू नहीं	उड़ान	5997673	26.04.1966
16	98014	कप्तान जार्ज आइसैक केनो गोमेज़	विदेशी पायलट	कमांडर	55	23.01.2012	लागू नहीं	उड़ान	6307920	22.09.1959
17	98020	कप्तान रेंडी स्टीवन स्कारब्रो	विदेशी पायलट	कमांडर	48	23.11.2012	लागू नहीं	उड़ान	6320720	08.09.1964
18	98100	कप्तान प्रमोद खत्री	विदेशी पायलट	कमांडर	42	08.08.2012	लागू नहीं	उड़ान	6281120	28.10.1972

31 ekp] 2014 dk lekIr o"k dh fun'kdk dh fjikVZ d Hkkx d :i e rFkk diuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 217 ¼2,½ ,o dEiuh ¼delpkfj;k dk fooj.k½ fu;e 1975 d v/khu delpkfj;k dk C;kjk lc/kh fooj.k

**o"k dh dN vof/k d fy, fu;Dr delpkjh^^

Ø-l-	dkM	Ukke	;kX;rk	inuke	vk;q	dk;Zxg.k dh frFk	NkMu dh frFk	vfUre fu;kDrk	dk;Z dh idfr	dqy oru ¼#-½	TkUe frFk
1	98009	कप्तान विलियम एन कीने	विदेशी पायलट	कमांडर	54	07.12.2007	07.12.2013	लागू नहीं	उड़ान	4883797	12.02.1960
2	98021	कप्तान स्टीफन मेयर	विदेशी पायलट	कमांडर	50	05.12.2012	21.01.2014	लागू नहीं	उड़ान	2888760	04.05.1964
3	98101	कप्तान राजू राजबंशी	विदेशी पायलट	कमांडर	52	20.07.2012		लागू नहीं	उड़ान	3304756	02.05.1962
4	98022	कप्तान पीटर डेविड हैंक्स	विदेशी पायलट	कमांडर	57	06.06.2014		लागू नहीं	उड़ान	5467650	25.06.1957

diuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 619 ¼4½ d vUrxZr ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM d 31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ d ys[kk ij Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;kA

कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लि. के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. / –
¼foeyUn iVo/kku½
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–I,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 अप्रैल, 2015

,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds lnL;ksa ds fy, ys[kk ijh{kdksa dh fjiksVZ

foÙkh; fooj.kksa ij fjiksVZ

हमने, ,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ¼,,,l,y ;k dEiuh½ के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। जिसमें 31 मार्च, 2014 तक की अवधि का तुलन–पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि खाते का विवरण और नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

foÙkh; fooj.kksa ds fy, izca/k oxZ dh ftEesnkjh

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के सन्दर्भ में, निगमित कार्य मामले मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरुप, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक त्रुटि से मुक्त हों तथा उनकी प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की रुप–रेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा उनका रिकार्ड रखना सम्मिलित है।

ys[kk ijh{kdksa dh ftEesnkjh

लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईएसीआई) द्वारा जारी लेखाकंन मानकों के अनुरुप लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हों, अतः हम इस आश्वासन को उचित रुप में पूरा करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करते हैं।

लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक त्रुटि के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उपयुक्त प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार लेखा परीक्षा डिज़ाइन की जा सके। इसका उद्देश्य कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता पर मत प्रस्तुत करना नहीं होता। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे क्वालिफाइड मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं। कम्पनी द्वारा अपनायी गई समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा प्रक्रियाओं की उपयुक्तता की आवश्यकता के कारण ये मानक पूर्णता से उस सीमा तक लागू नहीं किए जा सके।

DokfyQkbM er ds vk/kkj

(i) कम्पनी के रिपोर्टाधीन वित्तीय विवरण गोईंग कन्सर्न आधार पर तैयार किए गए हैं। वर्ष में 249,39.71 लाख रु. की हानि तथा 831,01.84 लाख रु. की संचित हानि के परिणाम स्वरूप कम्पनी की पूर्ण शेयर पूंजी का क्षय हो गया और 107816.55 लाख रु. की नेगेटिव नेटवर्थ रही और कम्पनी पर 31 मार्च, 2014 को अपनी होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लि. के 85109.05 लाख रु. के बकाया देय की देयता भी है। बताया गया है कि गोईंग कन्सर्न का पूर्वानुमान होल्डिंग कम्पनी जैसे एअर इंडिया द्वारा दिए जाने वाले निरन्तर पर्याप्त सहयोग पर आधारित है। जैसा कि सूचित किया गया है, एअर इंडिया लि. और एएएसएल का टर्न अराउंड प्लान (टीएपी) जीओएम और सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ii) लाभ–हानि खाते में 19,674.28 लाख रु. के यातायात राजस्व (एनईसी शिलांग और अगाती से अनुदान को छोड़कर) का लेखांकन, एअर इंडिया लि. के बही–खातों के आधार पर किया गया है और 148.26 लाख रु. के सेवा प्रभार पर व्यय तथा 51873.13 लाख रु. के अन्य प्रचालन और प्रशासनिक खर्चों (जिसमें तेल कम्पनियों को देरी से भुगतान किए जाने के कारण 393.17 लाख रुपये सम्मिलित हैं) का लेखांकन एअर इंडिया लि. द्वारा जारी क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स के आधार पर किया गया है। मूल रिकार्डों, वाऊचर/सहायक दस्तावेज़ों और अन्य संबद्ध ब्यौरों के अभाव में उपर्युक्त बताए गए राजस्व और व्यय उस सीमा तक असत्यापित रहे।

(iii) कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही इनवेंटरी लेखांकन की प्रणाली उचित/सम्पूर्ण नहीं है। इस संबंध में हमारी टिप्पणी इस प्रकार है :–

(क) एटीआर/सीआरजे विमान इनवेंटरी के सदंर्भ में, इनवेंटरी का प्रापण, एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है और बाद में बिना किसी इन्वॉयस और लागू बिक्री कर (वैट) के कम्पनी को हस्तांतरित कर दी जाती है। राशि और लेखों पर इसके प्रभाव का निश्चयन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी इनवेंटरी लेन–देन प्राधिकृत करने, उस पर कार्रवाई करने और उनका पूर्णतः लेखाकंन किए जाने हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपलब्ध नहीं है।

(ख) विमान के पूर्जे, जो विमान इनवेंटरी के अभिन्न अंग हैं, पर सीमा शुल्क तथा मालभाड़ा में, कम्पनी के स्वामित्व में तथा इसके साथ–साथ उत्पादकों से लीज़ पर लिए गए विमानों पर मालभाड़ा शुल्क, प्रासंगिक इत्यादि शामिल हैं तथा साथ ही मरम्मत के लिए निर्यात किए गए उपस्कर और पूर्जों पर भी मालभाड़ा और प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। मदवार विभाजन और प्रविष्टि के अभाव में चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्ष के अंत में रखे गए विमान के पूर्जों पर सीमा शुल्क तथा मालभाड़े का शेष 575.12 लाख रु. और वर्ष के दौरान सामग्री खपत में प्रभारित 74.24 लाख रुपये की राशि असत्यापित रही। इसलिए इस राशि की सत्यता और वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ग) कम्पनी अपने दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता स्थित भण्डारों में इनवेंटरी का कोई रिकार्ड नहीं रख रही है और वर्ष के अंत में एअर इंडिया लि. से प्राप्त सारांश के आधार पर इनवेंटरी के विभिन्न वर्गों के मूल्य को दर्शाते हुए खातों में वित्तीय आकड़े दर्ज किए जाते हैं। ब्यौरे के अभाव में इनवेंटरी की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी और लेखों पर इसके प्रभाव के लिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(घ) वर्ष के अंत में, वास्तविक खपत के आधार पर तथा कमी या अधिकता अलग–अलग दर्शाते हुए, यदि कोई हो, लेखाकंन करने के स्थान पर, इनवेंटरी की खपत, प्रारंभिक स्टॉक के बकाया और वर्ष के दौरान की गई खरीद को जोड़कर, वर्ष के अंत में अंतशेष स्टॉक को घटाकर, प्राप्त शेष के आधार पर (एअर इंडिया लि. से प्राप्त सूचना) बुक की जाती है। इस प्रकार यह आईसीएआई द्वारा जारी स्वीकृत इनवेंटरी लेखांकन प्रक्रिया और एएस–2 (संशोधित) मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप नहीं है। अतः 527.22 लाख रु. की इनवेंटरी की खपत को सत्यापित नहीं किया जा सका और अंतर हेतु लेखों पर होने वाले प्रभाव यदि कोई हो, पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ड.) ''इनवेंटरी का मूल्यांकन'' पर लेखा मानक एएस 2 (संशोधित) का अनुपालन नहीं करना।

i एकल मदों के संदर्भ में (उपर्युक्त उप पैरा (ख) भी देखें) मालभाड़ा, शुल्क, प्रासंगिक व्यय आदि की पूरी पहचान और आबंटन किए बिना, इनवेंटरी का मूल्यांकन किया गया है।

ii इसके साथ–साथ इनवेंटरी का मूल्यांकन दरों में न्यूनतम दर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

उपर्युक्त के लेखों पर प्रभाव सुनिश्चित नहीं हो सके।

(iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड, एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल, रिलाइंस इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, शैल एमआरपीएल एविएशन लिमिटेड और डायल के साथ लेखों का समाधान न होने और पुष्टि न होने के परिणामस्वरूप व्यय/आय के अवयव समाविष्ट हो सकते हैं। 31 मार्च, 2014 तक पुष्टि और समाधान की अनुपस्थिति में हम लेखों पर इसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

(v) निपटान के आधार पर कुछ निश्चित लेन–देन का लेखा, (नोट सं. 1.4 और 1.10 (ख) एवं (ग) में दी गई लेखांकन नीति के संदर्भ में) आईसीएआई द्वारा जारी अधिनियम के अधीन ''लेखा नीतियों के प्रकटीकरण'' पर लेखांकन मानक एएस–1 के और 'अवधि के लिए निवल पर लाभ या हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन' पर एएस–6 (संशोधित)– लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं। कम्पनी द्वारा राशि और लेखों पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(vi) प्राप्ति/भुगतान के वर्ष में एकल मदों के लिए पूर्वावधि मदों और 10,000/– रुपये तक के पूर्व प्रदत्त/प्रोद्भवन खर्च के लिए (कम्पनी की लेखांकन नीति नोट सं. 1.8 और 1.10 (क) में दी गई लेखांकन नीति के संदर्भ में) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली और लेखांकन मानक एएस–1 और एएस–5 (संशोधित) के अनुसार नहीं है। कम्पनी द्वारा राशि और लेखों पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(vii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं लेखा प्रक्रियाएं अपर्याप्त हैं और इसे कार्यान्वित/लागू नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप, विशेषरूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में नियमित, पूर्ण और सही सूचना प्राप्त नहीं हो पाती :–

- यातायात राजस्व से संबद्ध लेन–देन (चार्टर राजस्व को छोड़कर)
- सेवा प्रभार पर व्यय।
- बाधित उड़ानों से सम्बन्धित व्यय।
- एस.ओ.डी. टिकट पर व्यय।

- केटरिंग ड्राई स्टोर की वापसी; एटीआर/सीआरजे विमान इनवेंटरी
- करार के अनुसार मैसर्स एटीआर से बकाया क्रेडिट की प्राप्ति तथा लेखांकन में विलम्ब तथा परिणाम स्वरूप काटे गए कर; कर्मचारियों के छुट्टी रिकार्ड और छुट्टियों के नकदीकरण के समायोजन में विलम्ब।
- विमान लीज़, हैंडलिंग और अनुरक्षण प्रभार।

(viii) कम्पनी ने आईसीएआई (नोट सं 1.6 में दी गई लेखांकन नीति के संदर्भ में) द्वारा जारी एएस–15 (संशोधित) द्वारा अपेक्षित, वर्ष के अंत में कर्मचारियों की बकाया छुट्टी के नकदीकरण की देयताओं को प्रदत्त नहीं किया है। कम्पनी द्वारा राशि और लेखाओं पर उसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया।

(ix) अग्रिम यात्री प्राप्तियों, नो शो यात्रियों से राजस्व, रद्दकरण शुल्क से आय, प्रशासनिक शुल्क की वापसी से आय व पी.एस.एफ पर अर्जित कमीशन को लेखों में दर्शाया न जाना। कम्पनी द्वारा राशि और लेखाओं पर उसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया।

(x) बेसिक दरों के साथ–साथ विभिन्न दरों पर बिल करने जैसे दस्तावेज़ीकरण प्रभार, मूल्यांकन प्रभार, ढुलाई प्रभार, डेमरेज प्रभार आदि के स्थान पर डाक राजस्व, सिंगल रेट प्रति टन किलोमीटर चार्ज किया जा रहा है। (कम्पनी द्वारा राशि और लेखाओं पर उसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया)।

(xi) अन्य दीर्घावधि देयताओं, व्यापार देयताएं, अन्य चालू देयताएं, दीर्घावधि ऋण और अग्रिम, अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां, व्यापार प्राप्तियां, लघु अवधि ऋण व अग्रिम तथा अन्य चालू परिसम्पत्तियों के संबंध में बकायों की पुष्टि का न होना। इस प्रकार के बकायों की पुष्टि न होने से वित्तीय विवरणों पर इन समायोजनों से होने वाले प्रभाव पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

(xii) कम्पनी द्वारा आयकर मांग के लिए 16,039.05 लाख रु. की फुटकर देयताएं दिखायी गई हैं, जिसके लिए कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, चूंकि अपील में कम्पनी द्वारा इस मांग को विवादित बताया गया है। (नोट नं. 25 (1) को देखें)। अपील के लंबित होने तथा कम्पनी द्वारा कानूनी अभिमत लिए जाने की दृष्टि से हम कम्पनी की देयताओं पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और वर्तमान में लेखाओं पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उपलब्ध सूचना के अनुसार कर, ब्याज व टीडीएस पर पैनल्टी के कारण 341.46 लाख रु. की देयता है।

(xiii) देनदारों में मैसर्स गति लिमिटेड से वसूल किए जाने वाली 2940.35 लाख रु. की राशि शामिल है, जो कम्पनी के विमानों के प्रचालन हेतु फरवरी, 2009 से बकाया है। एअर इंडिया लि. द्वारा उनकी बैंक गारंटी इन्वोंक कर दी गई है तथा 3000 लाख रु. वसूले गए हैं जिन्हें कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया गया है व इस राशि को कम्पनी द्वारा 'अन्य दीर्घावधि देयताओं के अधीन', ''सुरक्षा जमा–गति'' शीर्षक से अलग लेखे में रखा गया है। मामला एअर इंडिया लि. और मैसर्स गति लिमिटेड के मध्य विवादित बताया गया है, मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने एअर इंडिया लि. के विरूद्ध 2672.95 लाख रु. (ब्याज आदि सहित) का अवार्ड दिया। एअर इंडिया लि. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मध्यस्थता अधिनिर्णय के विरूद्ध एक अपील दायर की गई है जोकि लंबित है। तद्नुसार हम वसूले न गए बकाया देय या गारंटी इन्वोक करने के लिए धन वापसी या अधिनिर्णय की राशि के भुगतान का कम्पनी के लेखाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई भी अभिमत देने में असमर्थ हैं।

(xiv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 से 92ई के तहत, 31/3/2014 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40ए (2)(बी) में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ कम्पनी द्वारा किए गए विशेषीकृत अन्तरदेशीय लेन–देन के लिए आवश्यक ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन और एकाउंटेंट की रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। अतः हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि विशेषीकृत अन्तरदेशीय लेन–देन आर्म लैंथ मूल्य पर लिए गए हैं व वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हस्तांतरण मूल्य समायोजन का कोई प्रभाव है।

(xv) कम्पनी द्वारा अनन्तिम आधार पर लेखांकित व्ययों में टीडीएस की गणना नहीं की जा रही है। इसकी गणना वास्तविक व्ययों हेतु उपलब्ध कराने पर की जाएगी। इस पर कर व ब्याज देयता की गणना लेखों में नहीं की गई है।

(xvi) एअर इंडिया लि. को देय राशि के भुगतान में विलंब हेतु 71.96 करोड़ रु. की ब्याज राशि की कम्पनी द्वारा लेखों में गणना की गई है। कम्पनी इस ब्याज के प्रावधान हेतु कोई करार या औचित्य नहीं उपलब्ध करवा सकी। ब्याज की गणना में बोर्ड का अनुमोदन नहीं लिया गया इसलिए घाटे में इतनी वृद्धि हो गई।

उपर्युक्त पैरा में 'क्वालिफाइड मत का आधार' के लिए प्रत्येक पैरा में दिए गए कारणों का इस रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव पर कोई टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

DokfyQkbM er

हमारे मत में और हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार क्वालिफाइड मत के लिए आधार संबंधी पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरणियां, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

(क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति,

(ख) लाभ–हानि खाते के संबंध में, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

vU; oèkkfud vkj fofu;ked vi{kkvk ij fjikV

1. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4ए) के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 4 और 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) क्वालिफाइड मत के लिए आधार उपर्युक्त पैरा (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (ix), (xi), (xiv), (xv) और (xvi) में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

   (ख) क्वालिफाइड मत के लिए आधार उपर्युक्त पैरा (ii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiv) और (xv) में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियां की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणी के अनुरुप हैं।

   (घ) क्वालिफाइड मत के लिए आधार उपर्युक्त पैरा (iii) (घ) एवं (ड), (v), (vi) और (viii) में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारे मतानुसार तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम की धारा 2013 के खण्ड 133 के संदर्भ में निगमित कार्यालय मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र के 15/2013 के साथ पठित अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

   (ड.) सरकार की दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर–829 (ई) के सन्दर्भ में, सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

Ñr pn xIrk ,M ,lkfl,Vl
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000259N

हस्ता./–
¼,l- lh- xIrk½
भागीदार
सदस्यता संख्या–013465

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मार्च, 2015

Lor= y[kk ijh{kdk dh fjiksVZ dk vuqyXud

(एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीयों विवरणों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट ''रिपोर्ट अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं'' के अधीन, पैराग्राफ 1 में सन्दिर्भत अनुलग्नक)

(i) (क) अपनी स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में कम्पनी द्वारा रखे गए रिकार्ड इस दृष्टि से समुचित नहीं माने जा सकते कि ये स्थिर परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे, परिसम्पत्तियों की पहचान सं. और अवस्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं देते।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीति सं. 1.2 के तहत अपेक्षित स्थिर परिसम्पत्तियों का द्विवार्षिक सत्यापन नहीं किया गया। तथापि सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा 31/3/2012 को स्थिर परिसम्पत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस सत्यापन में पाई गई कमियों को लेखांकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2013–14 के दौरान कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग का निपटान कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।

(ii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा इनवेंटरी का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। तद्नुसार, हमारा मत है कि सत्यापन की आवृत्ति यथोचित नहीं है।

(ख) उपरोक्त उप पैरा (क) को देखते हुए हम कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनायी गई सत्यापन प्रक्रिया की उपयुक्तता और पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ग) हमें दी गई सूचना के अनुसार एटीआर/सीआरजे विमानों के लिए इनवेंटरी का प्रापण एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है और प्राप्ति, जारी और अंतशेष के रिकार्ड, एअर इंडिया लि. द्वारा रखे जाते हैं। इसके साथ एअर इंडिया लि. से प्राप्त एडवॉइस के आधार पर प्राप्तियों हेतु कम्पनी द्वारा लेखा प्रविष्टि की जाती हैं जोकि अधिकतर सभी मामलों में देर से प्राप्त होती हैं। जारी की गई सामग्री की प्रविष्टियों का लेखांकन केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। तद्नुसार, कम्पनी द्वारा इनवेंटरी के उचित रिकार्ड रखे गए हैं या नहीं, इस पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(iii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार एअर इंडिया लि. से ब्याज पर अनारक्षित ऋण, जिसके लिए हमें बोर्ड का कोई प्रस्ताव नहीं दिखाया गया है, से इतर कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर के अधीन किसी भी कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से न तो कोई रक्षित या अनारक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है। तथापि उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने भारत सरकार से पूर्व प्रतिनियुक्त कर्मचारी को 2.61 लाख रु. का ब्याज मुक्त अनारक्षित ऋण दिया है जिसकी लम्बे समय से वसूली नहीं हुई है।

(ख) उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर चूंकि कम्पनी ने उपरोक्त के अलावा कोई ऋण लिया/दिया नहीं है, अतः इस खंड के उपखंड (बी) से (जी) तक लागू नहीं होते।

(iv) हमारे मत में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और इनवेंटरी, राजस्व का रिकार्ड रखना, इनवेंटरी नियंत्रण तथा कुछ व्यय और सेवाओं पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के (''योग्यता अभिमत के आधार'' के पैरा (ii) (iii) और (vii) को भी देखें) के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं कम्पनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में इन कमियों को देखा गया है और बार–बार इसे रिपोर्ट किया गया है क्योंकि गत वर्षों में इसमें सफलता नहीं मिली व सुधार नहीं हुआ।

(v) (क) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखा परीक्षा प्रणाली और प्रबंध वर्ग द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा मत है कि अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत, एअर इंडिया के साथ व्यवस्था के अधीन कॉन्ट्रेक्ट और व्यवस्थाओं का कोई ब्यौरा, जिसकी इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टरों में प्रविष्टि करना आवश्यक है, उन्हें नहीं रखा जा रहा।

(ख) तद्नुसार उपरोक्त खंड (क) के अनुसार रिपोर्ट उद्घाटित नहीं की गई है।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः अधिनियम की धारा 58ए एवं 58एए व अधिनियम का अन्य कोई संगत प्रावधान व उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(vii) वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य प्रबंध वर्ग द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म द्वारा किया गया जिसके द्वारा वर्ष 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। हमारे मत में आंतरिक लेखा प्रणाली को कम्पनी के व्यवसाय के आकार, इसके कार्य की प्रकृति के अनुरुप सुगठित करने की आवश्यकता है। जिससे लेन–देन, विशेषकर लीज़ तथा एटीआर/सीआरजे विमान प्रचालन से संबंधित अन्य करारों, राजस्व प्राप्ति, ईंधन लेने/भुगतान और इनवेंटरी नियंत्रण पर और लेखा परीक्षा की आवृत्ति और आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को पर्याप्त रुप से सम्मिलित किया जा सके। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को वर्ष के भीतर समय–समय पर तथा तत्पश्चात् अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(viii) हमें सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 209 की उप धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रख–रखाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा कम्पनी के परीक्षित किए गए रिकार्डों के अनुसार, अविवादित सांविधिक देय जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य लागू संवैधानिक देयताएं शामिल हैं, उपयुक्त प्राधिकरणों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा करवाई जा रही हैं तथापि स्रोत पर कर की गैर कटौती और गैर जमा के मामले देखने में आए हैं। साथ ही स्रोत पर की गई कर कटौती व सेवा कर को देरी से जमा किया गया। सीमा शुल्क का भुगतान एअर इंडिया लि. द्वारा हैंडल किया जाता है। परन्तु एअर इंडिया लि. से हमें इसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है कि वर्ष के अंत में कोई अविवादित देय लंबित है या नहीं। गैर–कटौती, गैर–जमा व जमा में देरी के प्रभाव का अभिनिश्चयन कर लेखों में नहीं दर्शाया गया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को आयकर के निम्नलिखित विवादित देय के अलावा, जिन्हें वित्तीय विवरणियों में नोट सं. 25 (1) में दिखाया गया है, के अतिरिक्त वर्ष के अंत में सम्पत्ति कर, सेवा कर, सेस, बिक्री कर हेतु कोई विवादित देय और अन्य सांविधिक देय बकाया और अप्रदत्त नहीं हैं।

n;; dh fLFkfr vkj idfr	jkf'k ¼#- yk[k e½	lcfèkr jkf'k vofèk	ftl Qkje ds ikl fookn yfcr g
आयकर मांग	140.44	वर्ष 1997–1998	आईटीएटी को अपील के पुनः स्थापन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है।
आयकर मांग	174.31	वर्ष 2000–2001	आईटीएटी के पास अपील लंबित
आयकर दण्ड यू/एस 271(1)(सी)	31.99	वर्ष 2004–2005	सीआईटी (ए) के पास अपील लंबित
आयकर मांग	4425.04	वर्ष 2008–2009	आईटीएटी के पास अपील लंबित
आयकर मांग	10146.27	वर्ष 2010–2011	आईटीएटी के पास अपील लंबित
आयकर मांग	1121.00	वर्ष 2011–2012	सीआईटी (ए) के पास अपील लंबित
टीडीएस	341.46	वर्ष 2011–2012	आयकर मांग और टीडीएस विभाग

साथ ही सीमा शुल्क भुगतान की हैंडलिंग एअर इंडिया लि. द्वारा की जाती है, एअर इंडिया लि. से हमें इसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है कि वर्ष के अंत में कोई विवादित देय लंबित है या नहीं।

(x) वर्ष के अंत में कम्पनी की संचित हानि है, इसका नेटवर्थ नेगेटिव है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को नकद हानि हुई है और इससे पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है। कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर वित्तीय संस्थानों या बैंक या डिबैन्चर धारकों को कोई राशि देय नहीं है।

(xi) कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने शेयर, डिबैन्चर या कोई अन्य प्रतिभूति को जमानत के रूप में गिरवी रख कर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(xii) हमारे मतानुसार वर्ष के दौरान कम्पनी की गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चिट फंड/निधि/म्युचल बैनेफिट फंड/सोसायटी पर लागू विशेष संविधि के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiii) कम्पनी के रिकार्ड तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबैन्चर या अन्य निवेशों में कोई कारोबार नहीं कर रही है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी अन्य के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण हेतु कम्पनी ने कोई गारन्टी नहीं दी है।

(xv) कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xvi) कम्पनी के रिकार्ड और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के तुलन पत्र के सम्पूर्ण निरीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि 28,696.97 लाख रु. की निधि, चालू परिसम्पत्तियों पर चालू देयताओं की अधिकता के रूप में लघु अवधि आधार पर जुटाई गई जिसे कम्पनी की प्रचालनात्मक हानि के निधिकरण के लिए प्रयोग किया गया है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई डिबैन्चर जारी नहीं किए गए हैं। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xx) कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कम्पनी पर या कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने की सूचना या रिपोर्ट होने के ब्यौरे हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार लेखा पुस्तिकाओं की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान और प्रबंध वर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने कम्पनी पर हुई या कम्पनी द्वारा की गई धोखाधड़ी का कोई भी मामला वर्ष के दौरान न देखा, या नोटिस किया या रिपोर्ट किया और न ही प्रबंध वर्ग द्वारा हमें इस प्रकार के मामले की कोई सूचना दी गई है।

Ñr pn xIrk ,M ,lkfl,Vl
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000259N

हस्ता./–
¼,l- lh- xIrk½
भागीदार
सदस्यता संख्या–013465

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मार्च, 2015

foŸkh; o"k 2013&14 d fy, lkfof/kd y[kk ijh{kdk dh y[kk ijh{kk fjikVZ ij icU/ku d mŸkj

Ø- l-	y[kk ijh{kk voyksdu	icaèke.My dh fVIif.k;k
(i)	कम्पनी के रिपोर्टाधीन वित्तीय विवरण गोइंग कन्सर्न आधार पर तैयार किए गए हैं। वर्ष में 249,39.71 लाख रु. की हानि तथा 831,01.84 लाख रु. की संचित हानि के परिणाम स्वरूप कम्पनी की पूर्ण शेयर पूंजी का क्षय हो गया और 107816.55 लाख रु. की नेगेटिव नेटवर्थ रही और कम्पनी पर 31 मार्च, 2014 को अपनी होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लि. के 85109.05 लाख रु. के बकाया देय की देयता भी है। बताया गया है कि गोईंग कन्सर्न का पूर्वानुमान होल्डिंग कम्पनी जैसे एअर इंडिया द्वारा दिए जाने वाले निरन्तर पर्याप्त सहयोग पर आधारित है। जैसा कि सूचित किया गया है, एअर इंडिया लिमिटेड और एएएसएल का टर्न अराउंड प्लान (टीएपी) जीओएम और सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।	कम्पनी एअर इंडिया लि. (एआईएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी है। कम्पनी द्वारा उड़ान प्रचालन आरंभ किए जाने के समय से ही मूल कम्पनी एआईएल द्वारा एलाइंस एयर को प्रचालनों हेतु आधारभूत सुविधाएं, जनशक्ति और निधि द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउंड प्लान (टीएपी) में प्रचालन और वित्तीय टर्न अरांउड दोनों ही अपरिहार्य हैं, इसमें एएएसएल सहित एआईएल और उसकी सहायक कम्पनियां सम्मिलित हैं। यह 2011 से 2020 तक 10 वर्ष की अवधि तक के लिए है। टीएपी के अनुसार भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों में कम्पनी में अतिरिक्त पूंजी लगाने और एआईएल की नेटवर्थ/लिक्विडिटी में सुधार लाने के लिए एआईएल की वित्तीय पुनःसंरचना हेतु अनुमोदन दे दिया गया है। एएएसएल सहित सहायक कम्पनियों को जारी वित्तीय सहयोग पर भी इसका प्रभाव होगा। भारत सरकार द्वारा एआईएल को पूर्व में और लगातार दिए जाने वाले सहयोग के मद्देनजर और मूल कम्पनी द्वारा प्रचालन/वित्तीय सहयोग हेतु दिए गए आश्वासन को देखते हुए लेखाओं को गोईंग कन्सर्न आधार पर तैयार किया जा रहा है।
(ii)	लाभ–हानि खाते में 19,674.28 लाख रु. के यातायात राजस्व (एनईसी शिलांग और अगाती से अनुदान को छोड़कर) का लेखांकन, एअर इंडिया लि. के बही–खातों के आधार पर किया गया है और 148.26 लाख रु. के सेवा प्रभार पर व्यय तथा 51873.13 लाख रु. के अन्य प्रचालन और प्रशासनिक खर्चों (जिसमें तेल कम्पनियों को देरी से भुगतान किए जाने के कारण 393.17 लाख रुपये सम्मिलित हैं) का लेखांकन एअर इंडिया लि. द्वारा जारी क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स के आधार पर किया गया है। मूल रिकार्डों, वाऊचर/सहायक दस्तावेज़ों और अन्य संबद्ध ब्यौरों के अभाव में उपर्युक्त बताए गए राजस्व और व्यय उस सीमा तक असत्यापित रहे।	एअर एअर इंडिया लि. और एएएसएल के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के तहत एअर इंडिया द्वारा एलाइंस एयर के प्रचालनों हेतु बिक्री विपणन, आरक्षण तथा अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही, जैसा कि लेखा परीक्षा के दौरान विस्तृत रुप से स्पष्ट किया गया है, एआईएल द्वारा, अपनी और एएएसएल की सेवाओं पर, उड़ान भरने वाले यात्रियों से प्राप्त राजस्व, अतिरिक्त बैगेज और वहन किए गए कार्गो को एएएसएल की उड़ानों के लिए उड़ान कूपन, ईबीटी और एडब्ल्यूबी के आधार पर उड़ान–वार अलग कर गणना करने हेतु कम्प्यूटरीकृत राजस्व लेखांकन प्रणाली आरंभ की गई है। अतः यात्री राजस्व, अतिरिक्त बैगेज व मालभाड़ा से प्राप्त राजस्व आय को एआईएल द्वारा विस्तृत कम्प्यूटरीकृत राजस्व लेखांकन प्रणाली से तैयार उड़ान–वार मासिक राजस्व रिपोर्ट के आधार पर अलग–अलग कर एएएसएल को क्रेडिट कर दिया जाता है अतः नोट 1 (वित्तीय नीति) के पैरा 1.4 के अनुसार लेखांकित एएएसएल की उड़ानों से अर्जित राजस्व, मासिक राजस्व रिपोर्ट द्वारा समर्थित होता है। एआईएल और एएएसएल के मध्य हुए एमओयू के अनुसार एएएसएल की उड़ानों का ब्यौरा इस विस्तृत सामूहिक राजस्व लेखांकन प्रणाली में दोहराव से बचाव हेतु रखा जाता है। जिसमें एएएसएल की उड़ानों हेतु अलग विस्तृत रिपोर्ट रखी जाती है। डेबिट/क्रेडिट के रिकार्ड होल्डिंग कम्पनी तथा एएएसएल द्वारा रखे गए हैं।
(iii)	कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही इनवेंटरी लेखांकन की प्रणाली उचित/सम्पूर्ण नहीं है। इस संबंध में हमारी टिप्पणी इस प्रकार है :–	
	(क) एटीआर/सीआरजे विमान इनवेंटरी के सदंर्भ में, इनवेंटरी का प्रापण, एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है और बाद में बिना किसी इन्वॉयस और लागू बिक्री कर (वैट) के कम्पनी को हस्तांतरित कर दी जाती है। राशि और लेखों पर इसके प्रभाव का निश्चयन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी इनवेंटरी लेन–देन प्राधिकृत करने, उस पर कार्रवाई करने और उनका पूर्णतः लेखाकंन किए जाने हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपलब्ध नहीं है।	एमओयू के तहत एअर इंडिया लि. विमान इनवेंटरी प्रापण और स्टॉकिंग में प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती है। तथापि वेण्डरों को किए जाने वाला भुगतान अधिकतर एएएसएल द्वारा किया जाता है। अतः इसमें कोई बिक्री सम्मिलित नहीं है। उपर्युक्त प्रकटन नोट सं. 27 (i) में दिए गए हैं। कम्प्यूटरीकृत मासिक इनवेंटरी विवरणी रैम्को प्रणाली में दर्शाए अनुसार एआईएल से प्राप्त की जाती है। जिसमें एएएसएल की उड़ानों हेतु आरंभिक व अंतशेष स्टॉक व खपत का ब्यौरा होता है। इनवेंटरी व खपत की गणना हेतु रैम्को प्रणाली प्रयोग की जाती है।

Ø- l-	y[kk ijh{kk voykdu	icèkeMy dh fVIif.k;k
		एआईएल की प्रणाली में सभी प्रकार की इनवेंटरी के प्रापण, जारी करने, स्टॉकिंग, पृथक्करण आदि के लिए अपनी व्यापक और पर्याप्त नियंत्रण तथा आंतरिक जांच प्रक्रिया है, जो आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष जांच और स्टॉक सत्यापन के अधीन है और इस प्रकार के नियंत्रण एएएसएल की विमान इनवेंटरी पर भी लागू होते हैं।
	(ख) विमान के पूर्जे, जो विमान इनवेंटरी के अभिन्न अंग हैं, पर सीमा शुल्क तथा मालभाड़ा में, कम्पनी के स्वामित्व में तथा इसके साथ–साथ उत्पादकों से लीज़ पर लिए गए विमानों पर मालभाड़ा शुल्क, प्रासंगिक इत्यादि शामिल हैं तथा साथ ही मरम्मत के लिए निर्यात किए गए उपस्कर और पूर्जों पर भी माल भाड़ा और प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। मदवार विभाजन और प्रविष्टि के अभाव में चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्ष के अंत में रखे गए विमान के पूर्जों पर सीमा शुल्क तथा मालभाड़े का शेष 575.12 लाख रु. और वर्ष के दौरान सामग्री खपत में प्रभारित 74.24 लाख रुपये की राशि असत्यापित रही। इसलिए इस राशि की सत्यता और वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।	सीमा शुल्क, मालभाड़ा व प्रासंगिक, विमान पूर्जों, रोटेबल्स को वर्ष के अंत में उनकी खपत व अंतशेष स्टॉक मूल्य के अनुसार यथानुपात आधार पर आबंटित किया गया है। एफडीआई को मदवार अलग–अलग नहीं किया जा सकता चूंकि मालभाड़ा व प्रांसगिक व्यय मदवार न होकर कई मदों के समूह हेतु किए जाते हैं। अतः इनका आबंटन यथानुपात आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कम्पनी एआईएल द्वारा भी यही नीति अपनाई जा रही है। उपयुक्त प्रकटन नोट सं. 27 (iii) में दिए गए हैं। उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को भी देखें।
	(ग) कम्पनी अपने दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता स्थित भण्डारों में इनवेंटरी का कोई रिकार्ड नहीं रख रही है और वर्ष के अंत में एअर इंडिया लि. से प्राप्त सारांश के आधार पर इनवेंटरी के विभिन्न वर्गों के मूल्य को दर्शाते हुए खातों में वित्तीय आकड़े दर्ज किए जाते हैं। ब्यौरे के अभाव में इनवेंटरी की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी और लेखों पर इसके प्रभाव के लिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।	चूंकि एएएसएल की इनवेंटरी का एआईएल द्वारा प्रापण व प्रबंधन किया जाता है, अतः एएएसएल की इनवेंटरी के रिकार्ड सभी इनवेंटरी स्थलों पर रखे जाते हैं। तथापि 31 मार्च, 2014 को एआईएल से प्राप्त इनवेंटरी के अंतशेष इनवेंटरी विवरण एएएसएल के पास उपलब्ध हैं। उपयुक्त प्रकटन नोट सं. 27 (i) में दिए गए हैं। उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को भी देखें।
	(घ) वर्ष के अंत में, वास्तविक खपत के आधार पर तथा कमी या अधिकता अलग–अलग दर्शाते हुए, यदि कोई हो, लेखाकंन करने के स्थान पर, इनवेंटरी की खपत, प्रारंभिक स्टॉक के बकाया और वर्ष के दौरान की गई खरीद को जोड़कर, वर्ष के अंत में अंतशेष स्टॉक को घटाकर, प्राप्त शेष के आधार पर (एअर इंडिया लि. से प्राप्त सूचना) बुक की जाती है। इस प्रकार यह आईसीएआई द्वारा जारी स्वीकृत इनवेंटरी लेखांकन प्रक्रिया और एएस–2 (संशोधित) मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप नहीं है। अतः 527.22 लाख रु. की इनवेंटरी की खपत को सत्यापित नहीं किया जा सका और अंतर हेतु लेखों पर होने वाले प्रभाव यदि कोई हो पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।	वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रणाली में परिवर्तन किया गया है और अब रैम्को द्वारा तैयार मासिक इनवेंटरी रिपोर्ट के आधार पर इनवेंटरी की खपत मासिक आधार पर बुक की जाती है। उपयुक्त प्रकटन नोट सं. 27 (i) में दिए गए हैं।

Ø- la-	ys[kk ijh{kk vo;kdu	izcU/ku dh fVIif.k;k
	(ड.) ''इनवेंटरी का मूल्यांकन'' पर लेखा मानक एएस 2 (संशोधित) का अनुपालन नहीं करना। i. एकल मदों के संदर्भ में (उपर्युक्त उप पैरा (ख) भी देखें) मालभाड़ा, शुल्क, प्रासंगिक व्यय आदि की पूरी पहचान और आबंटन किए बिना, इनवेंटरी का मूल्यांकन किया गया है। ii. इसके साथ–साथ इनवेंटरी का मूल्यांकन दरों में न्यूनतम दर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। उपर्युक्त के लेखों पर प्रभाव सुनिश्चित नहीं हो सके।	कंपनी की नीति के अनुसार, जो एआईएल द्वारा भी अपनाई जा रही है, इनवेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत लागत आधार पर किया जाता है। जैसा कि नोट सं. 1.9 में बताया गया है। उपयुक्त प्रकटन नोट सं. 27 (iii) में दिए गए हैं।
(iv)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड, एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल, रिलाइंस इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, शैल एमआरपीएल एविएशन लिमिटेड और डायल के साथ लेखों का समाधान न होने और पुष्टि न होने के परिणामस्वरूप व्यय/आय के अवयव समाविष्ट हो सकते हैं। 31 मार्च, 2014 तक पुष्टि और समाधान की अनुपस्थिति में हम लेखों पर इसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।	तेल कंपनियों व एएआई जैसी नियमित पार्टियों के साथ समाधान कार्य निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। तेल कंपनियों और एएआई को भुगतान, हमारी होल्डिंग कंपनी एआईएल द्वारा किया जा रहा है, जिसके साथ मार्च, 2014 तक का समाधान कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तेल कंपनियों के साथ 31 मार्च, 2013 तक का समाधान कार्य पूरा कर लिया गया है और 2013–14 हेतु समाधान कार्य पूर्ण होने वाला है। डायल के साथ 31 मार्च, 2013 तक तथा एएआई के साथ 31 मार्च, 2012 तक का समाधान कार्य पूर्ण है। इन लेखों का समाधान कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। उपयुक्त प्रकटन नोट सं. 32 में दिए गए हैं।
(v)	निपटान के आधार पर कुछ निश्चित लेन–देन का लेखा, (नोट सं. 1.4 और 1.10 (ख) एवं (ग) में दी गई लेखांकन नीति के संदर्भ में) आईसीएआई द्वारा जारी अधिनियम के अधीन ''लेखा नीतियों के प्रकटीकरण'' पर लेखांकन मानक एएस–1 के और 'अवधि के लिए निवल पर लाभ या हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन' पर एएस–6 (संशोधित)– लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं। कम्पनी द्वारा राशि और लेखों पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।	एएएसएल में इस नीति का वर्षों से निरन्तर अनुपालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी होल्डिंग कंपनी में भी इसी नीति का अनुपालन किया जा रहा है।
(vi)	प्राप्ति/भुगतान के वर्ष में एकल मदों के लिए पूर्वावधि मदों और 10,000/– रुपये तक के पूर्व प्रदत्त/प्रोद्भवन खर्च के लिए (कम्पनी की लेखांकन नीति नोट सं. 1.8 और 1.10 (क) में दी गई लेखांकन नीति के संदर्भ में) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली और लेखांकन मानक एएस–1 और एएस–5 (संशोधित) के अनुसार नहीं है। कम्पनी द्वारा राशि और लेखों पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।	पूर्वावधि और पूर्व प्रदत्त व्ययों का लेखांकन कंपनी द्वारा वर्षों से निरन्तर अपनाई गई लेखांकन नीति के नोट सं. 1.8 और 1.10 के अनुसार किया गया है।

Ø- l-	y[kk ijh{kk voyksdu	izcU/ku dh fVIif.k;k
(vii)	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं लेखा प्रक्रियाएं अपर्याप्त हैं और इसे कार्यान्वित/लागू नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप, विशेषरूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में नियमित, पूर्ण और सही सूचना प्राप्त नहीं हो पातीः–	दोनों कम्पनियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया लि. फ्लाइट हैंडलिंग, बिक्री विपणन और आरक्षण तथा अन्य सेवाएं कम्पनी को प्रदान करती है। होल्डिंग कम्पनी द्वारा एएएसएल के लेन–देन पर भी अपनी नियंत्रण प्रणाली और लेखांकन प्रक्रिया लागू की जाती है। नीचे दी गई टिप्पणियां मुख्यतः एअर इंडिया लि. के लेन–देन से संबंधित हैं। उन्हें इस परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है।
	➢ यातायात राजस्व से संबद्ध लेन–देन (चार्टर राजस्व को छोड़कर)	नोट सं. 1 के घोषित पैरा 1.4 के अनुसार राजस्व का लेखांकन किया गया है। जिसके तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के उड़ान कूपन के आधार पर यात्री राजस्व की गणना की जाती है, जिससे प्राप्त राजस्व ज्ञात होता है। अधिक सामान, डाक व कार्गो के राजस्व की गणना एआईएल द्वारा क्रेडिट किए गए राजस्व के आधार पर की जाती है।
	➢ सेवा प्रभार पर व्यय।	एमओयू के तहत एआई को सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसके लिए संगत रिकार्ड रखे जाते हैं।
	➢ बाधित उड़ानों से संबन्धित व्यय।	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु बाधित ट्रिप व्यय से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध हैं।
	➢ एस.ओ.डी. टिकट पर व्यय।	एसओडी यात्रा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एसओडी आदेश के अनुसार है। इस व्यय को एअर इंडिया से प्राप्त डेबिट के अनुसार बुक किया गया है।
	➢ केटरिंग ड्राई स्टोर की वापसी	ड्राई स्टोर की वापसी का लेखांकन संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त एडवॉइस के आधार पर किया जाता है तथा इस संबंध में समुचित रिकार्ड रखा जा रहा है।
	➢ एटीआर/सीआरजे विमान इनवेंटरी	प्रत्येक विमान हेतु विशेष प्रकार की इनवेंटरी प्रयोग में लाई जाती है। एएएसएल की ओर से इसका प्रापण एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है। इसका लेखांकन एएएसएल द्वारा किया जाता है। जैसा कि नोट सं. 27 (i) में पहले ही बताया गया है। उपर्युक्त पैरा iii (क) के उत्तर को भी देखें।
	➢ करार के अनुसार मैसर्स एटीआर से बकाया क्रेडिट की प्राप्ति तथा लेखांकन में विलम्ब तथा परिणाम स्वरूप काटे गए कर	क्रेडिट क्रेडिट नोट जारी करने के लिए एटीआर से नियमित तौर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
	➢ कर्मचारियों के छुट्टी रिकार्ड और छुट्टियों के नकदीकरण के समायोजन में विलम्ब।	कर्मचारियों की छुट्टी व छुट्टियों के नकदीकरण का रिकार्ड रखा जाता है।
	➢ विमान लीज़, हैंडलिंग और अनुरक्षण प्रभार।	आंतरिक नियंत्रण पद्धति लागू है व सभी लीज़ हैंडलिंग व अनुरक्षण प्रभार रिकार्ड समुचित रूप से रखे जा रहे हैं।
(viii)	कम्पनी ने आईसीएआई (नोट सं 1.6 में दी गई लेखांकन नीति के संदर्भ में) द्वारा जारी एएस–15 (संशोधित) द्वारा अपेक्षित, वर्ष के अंत में कर्मचारियों की बकाया छुट्टी के नकदीकरण की देयताओं को प्रदत्त नहीं किया है। कम्पनी द्वारा राशि और लेखाओं पर उसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया।	एएएसएल के कर्मचारी इस संबंध में बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिन की पीएल छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है तथा अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा सकता। कर्मचारी एफटीईए के अन्तर्गत आते हैं। सेवा की समाप्ति के समय (त्यागपत्र सहित) बची हुई छुट्टियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
(ix)	अग्रिम यात्री प्राप्तियों, नो शो यात्रियों से राजस्व, रद्दकरण शुल्क से आय, प्रशासनिक शुल्क की वापसी से आय व पी.एस.एफ पर अर्जित कमीशन को लेखों में दर्शाया न जाना। कम्पनी द्वारा राशि और लेखाओं पर उसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया।	नोट सं. 1 की घोषित लेखा नीति के पैरा 1.4 के अनुसार यात्री राजस्व की गणना, यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर की जाती है। तद्नुसार एएएसएल को केवल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ही एआईएल से राजस्व प्राप्त होता है।

Ø- l-	y[kk ijh{kk voyksdu	icèke.My dh fVIif.k;k
(x)	बेसिक दरों के साथ–साथ विभिन्न दरों पर बिल करने जैसे दस्तावेजीकरण प्रभार, मूल्यांकन प्रभार, ढुलाई प्रभार, डेमरेज प्रभार आदि के स्थान पर डाक राजस्व, सिंगल रेट प्रति टन किलोमीटर चार्ज किया जा रहा है। (कम्पनी द्वारा राशि और लेखाओं पर उसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया)।	डाक राजस्व, डाक विभाग द्वारा एआईएल के लिए लागू और अनुमोदित दर के अनुसार ले जायी डाक के लिए एआईएल द्वारा क्रेडिट किया जाता है। नोट सं. 1 के पैरा 1.4 का भी अवलोकन करें।
(xi)	अन्य दीर्घावधि देयताओं, व्यापार देयताएं, अन्य चालू देयताएं, दीर्घावधि ऋण और अग्रिम, अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां, व्यापार प्राप्तियां, लघु अवधि ऋण व अग्रिम तथा अन्य चालू परिसम्पत्तियों के संबंध में बकायों की पुष्टि का न होना। इस प्रकार के बकायों की पुष्टि न होने से वित्तीय विवरणों पर इन समायोजनों से होने वाले प्रभाव पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।	समाधान कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा होल्डिंग कंपनी एआईएल के साथ 31 मार्च, 2014 तक की अवधि का समाधान कार्य पूर्ण है। तेल कंपनियों के साथ 31 मार्च, 2013 तक की अवधि हेतु समाधान कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 2013–14 का पूर्ण होने वाला है।
(xii)	कम्पनी द्वारा आयकर मांग के लिए 16,039.05 लाख रु. की फुटकर देयताएं दिखायी गई हैं, जिसके लिए कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, चूंकि अपील में कम्पनी द्वारा इस मांग को विवादित बताया गया है। (नोट नं. 25 (1) को देखें)। अपील के लंबित होने तथा कम्पनी द्वारा कानूनी अभिमत लिए जाने की दृष्टि से हम कम्पनी की देयताओं पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और वर्तमान में लेखाओं पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उपलब्ध सूचना के अनुसार कर, ब्याज व टीडीएस पर पैनल्टी के कारण 341.46 लाख रु. की देयता है।	नोट सं. 25 (ग) और 26 में फुटकर देयताओं के रूप में प्रकटन किया गया है।
(xiii)	देनदारों में मैसर्स गति लिमिटेड से वसूल किए जाने वाली 2940.35 लाख रु. की राशि शामिल है, जो कम्पनी के विमानों के प्रचालन हेतु फरवरी, 2009 से बकाया है। एअर इंडिया लि. द्वारा उनकी बैंक गारंटी इन्वोंक कर दी गई है तथा 3000 लाख रु. वसूले गए हैं जिन्हें कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया गया है व इस राशि को कम्पनी द्वारा 'अन्य दीर्घावधि देयताओं के अधीन', ''सुरक्षा जमा–गति'' शीर्षक से अलग लेखे में रखा गया है। मामला एअर इंडिया लि. और मैसर्स गति लिमिटेड के मध्य विवादित बताया गया है, मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने एअर इंडिया लि. के विरूद्ध 2672.95 लाख रु. (ब्याज आदि सहित) का अवार्ड दिया। एअर इंडिया लि. द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मध्यस्थता अधिनिर्णय के विरूद्ध एक अपील दायर की गई है जोकि लंबित है। तदनुसार हम वसूले न गए बकाया देय या गारंटी इन्वोक करने के लिए धन वापसी या अधिनिर्णय की राशि के भुगतान का कम्पनी के लेखाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई भी अभिमत देने में असमर्थ हैं।	नोट सं. 36 में उपयुक्त प्रकटन किया गया है। करार, एअर इंडिया और गति के मध्य था और मामला न्यायाधीन है।

Ø- l-	y[kk ijh{kk voyksdu	izca/ku dh fVIi.kh;k
(xiv)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 से 92ई के तहत, 31/3/2014 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40ए (2)(बी) में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ कम्पनी द्वारा किए गए विशेषीकृत अन्तरदेशीय लेन–देन के लिए आवश्यक ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन और एकाउंटेंट की रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। अतः हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि विशेषीकृत अन्तरदेशीय लेन–देन आर्म लैंथ मूल्य पर लिए गए हैं व वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हस्तांतरण मूल्य समायोजन का कोई प्रभाव है।	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40ए (2) (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए किए गए विशेष अंतरदेशीय लेन–देन हेतु ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज़ तथा एकाउंटेंट की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इसकी प्रति लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों को उपलब्ध करवा दी गई। सांविधिक लेखा परीक्षा की समाप्ति पर वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि कंपनी एअर इंडिया लि. के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार एआईएल, एएएसएल की उड़ानों के लिए समान आरक्षण प्रणाली के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति और राजस्व के प्रबंधन में सहयोग प्रदान करती है। कंपनी द्वारा हैंडलिंग, प्रचालन खर्च हेतु नीधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं और डेबिट/क्रेडिट के माध्यम से इस राशि का दावा प्रस्तुत किया जाता है। एक कंपनी हेतु विशेष रूप से खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति/एडवॉइज समय–समय पर दोनों कंपनियों के बीच डेबिट/क्रेडिट एडवॉइस एक्सचेंज कर की जाती है। समझौता ज्ञापन के अनुसार स्वीकृत शुल्क पिछले वर्ष के अनुसार ही है। वर्ष की समाप्ति पर राशि से निवल परिणाम ज्ञात होता है और चालू लेखा का द्योतक है। इस प्रकार, ये लेन–देन मुख्यतः प्रतिपूर्ति पर आधारित हैं और डेबिट/क्रेडिट एडवाइस पर हस्तांतरित किए गए हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के लेन–देन में निरन्तर पालन को देखते हुए औचित्यपूर्ण और समुचित शुल्क/राशि लगाई गई है। इसलिए प्रबंध मण्डल के मत में इस विशेष विनियम का उल्लेखनीय प्रभाव, विशेष रूप से कर प्रावधान की राशि पर नहीं पड़ेगा।
(xv)	कम्पनी द्वारा अनन्तिम आधार पर लेखांकित व्ययों में टीडीएस की गणना नहीं की जा रही है। इसकी गणना वास्तविक व्ययों हेतु उपलब्ध कराने पर की जाएगी। इस पर कर व ब्याज देयता की गणना लेखों में नहीं की गई है।	पुष्टिकृत देयता स्थापित होने यानि राशि पार्टी के लेखे में क्रेडिट होने पर, टीडीएस बुक किया गया। अतः टीडीएस पर ब्याज देयता इसी प्रकार स्थापित की जाती है।
(xvi)	एअर इंडिया लि. को देय राशि के भुगतान में विलंब हेतु 71.96 करोड़ रु. की ब्याज राशि की कम्पनी द्वारा लेखों में गणना की गई है। कम्पनी इस ब्याज के प्रावधान हेतु कोई करार या औचित्य नहीं उपलब्ध करवा सकी। ब्याज की गणना में बोर्ड का अनुमोदन नहीं लिया गया इसलिए घाटे में इतनी वृद्धि हो गई।	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एअर इंडिया लि. के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखों पर टिप्पणियों के पैरा 75 के अनुसार, उल्लेख किया गया है कि एअर इंडिया लि. सहायक कंपनियों से बकायों के चलते अधिक धनराशि उधार लेने को बाध्य हो गई। जिसके परिणामस्वरुप ब्याज लागत में वृद्धि हो गई। अतः यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से एअर इंडिया लि. द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का सहायक कंपनियों में संविभाजन किया जाएगा ताकि 31.3.2014 को सहायक कंपनियों के बकाया वसूली योग्य शेष का विनियोग किया जा सके। तद्नुसार एलाइंस एयर को 71.96 करोड़ रु. की राशि के लिए डेबिट किया गया है जो प्रतिपूर्ति/बकाया देय पर लागू ब्याज अंश हेतु है। संगत सार की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

Lor= y[kk ijh{kdk dh fjikVZ dk vuqyXud

¼,;jykbu ,ykbM lfoZlsl fyfeVsM ds lnL;ksa dks 31 ekpZ] 2014 dks lekIr foÙkh; o"kZ foooj.kksa ij gekjh lefrfFk fjikVZ ^^fjikVZ vU; fof/kd vkSj fu;ked vko';drkvksa** ds v/khu] iSjkxzkQ 1 esa lnfHkZr vuqyXud½

Ø- la-	y[kk ijh{kk voyksdu	iczaa/ku dh fVIif.k;ka
(i)	(क) अपनी स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में कम्पनी द्वारा रखे गए रिकार्ड इस दृष्टि से समुचित नहीं माने जा सकते कि ये स्थिर परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे, परिसम्पत्तियों की पहचान सं. और अवस्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं देते।	नोट कर लिया गया।
	(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीति सं. 1.2 के तहत अपेक्षित स्थिर परिसम्पत्तियों का द्विवार्षिक सत्यापन नहीं किया गया। तथापि सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा 31/3/2012 को स्थिर परिसम्पत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस सत्यापन में पाई गई कमियों को लेखांकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2013–14 के दौरान कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।	31/03/2014 की स्थिति हेतु परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2014–15 के दौरान किया जाएगा।
	(ग) वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग का निपटान कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।	कथन सही है। स्वतः स्पष्ट है।
(ii)	(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा इनवेंटरी का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। तद्नुसार, हमारा मत है कि सत्यापन की आवृत्ति यथोचित नहीं है।	मूल कम्पनी एआईएल द्वारा विमान इनवेंटरी का प्रापण, प्रबंधन और नियंत्रण/भंडारण किया जाता है तथा यह स्टॉक रूम कार्मिक और एआईएल के आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रत्यक्ष सत्यापन के अधीन है।
	(ख) उपरोक्त उप पैरा (क) को देखते हुए हम कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनायी गई सत्यापन प्रक्रिया की उपयुक्तता और पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	कृपया उपरोक्त उत्तर (क) को देखें।
	(ग) हमें दी गई सूचना के अनुसार एटीआर/सीआरजे विमानों के लिए इनवेंटरी का प्रापण एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है और प्राप्ति, जारी और अंतशेष के रिकार्ड एअर इंडिया लि. द्वारा रखे जाते हैं। इसके साथ एअर इंडिया लि. से प्राप्त एडवॉइस के आधार पर प्राप्तियों हेतु कम्पनी द्वारा लेखा प्रविष्टि की जाती हैं जोकि अधिकतर सभी मामलों में देर से प्राप्त होती हैं। जारी की गई सामग्री की प्रविष्टियों का लेखांकन केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। तद्नुसार, कम्पनी द्वारा इनवेंटरी के उचित रिकार्ड रखे गए हैं या नहीं, इस पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	इनवेंटरी में मुख्यतः एटीआर व सीआरजे विमान के पूर्जे, रोटेबल्स, उपभोज्य व औजार सम्मिलित हैं। कम्पनी की ओर से प्रापण एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है। कम्पनी की इनवेंटरी एअर इंडिया लि. द्वारा रैम्को प्रणाली पर रखी/नियंत्रित की जाती है। अतः खपत व अंतशेष एअर इंडिया लि. के भंडार द्वारा रैम्को प्रणाली में रखे/नियंत्रित रिकार्ड व विवरण के आधार पर है। चूंकि इनवेंटरी एआईएल द्वारा रखी/नियंत्रित की जाती है, विसंगतियों हेतु कोई कार्रवाई, यदि कोई हो, रिकार्डों/मासिक विवरणियों के सत्यापन के पश्चात की जाती है।
(iii)	(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार एअर इंडिया लि. से ब्याज पर अनारक्षित ऋण, जिसके लिए हमें बोर्ड का कोई प्रस्ताव नहीं दिखाया गया है, से इतर कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर के अधीन किसी भी कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से न तो कोई रक्षित या अनारक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है।	कथन सही है।
	तथापि उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने भारत सरकार से पूर्व प्रतिनियुक्त कर्मचारी को 2.61 लाख रु. का ब्याज मुक्त अनारक्षित ऋण दिया है जिसकी लम्बे समय से वसूली नहीं हुई है।	वसूली/समझौते के लिए मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

Ø- l-	y[kk ijh{kk voykdu	icèke.My dh fVIif.k;k
	(ख) उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर चूंकि कम्पनी ने उपरोक्त के अलावा कोई ऋण लिया/दिया नहीं है, अतः इस खंड के उपखंड (बी) से (जी) तक लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(iv)	हमारे मत में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और इनवेंटरी, राजस्व का रिकार्ड रखना, इनवेंटरी नियंत्रण तथा कुछ व्यय और सेवाओं पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के (''योग्यता अभिमत के आधार'' के पैरा (ii) (iii) और (vii) को भी देखें) के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं कम्पनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में इन कमियों को देखा गया है और बार–बार इसे रिपोर्ट किया गया है क्योंकि गत वर्षों में इसमें सफलता नहीं मिली व सुधार नहीं हुआ।	व्यय/खरीद के लिए कम्पनी की अपनी आतंरिक नियंत्रण प्रणाली है। जैसा कि उपर्युक्त पैरा ii में स्पष्ट किया गया है, सभी मुख्य खरीद एआईएल के माध्यम से की जाती है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है। एएएसएल की उड़ानों के लिए राजस्व एक विस्तृत राजस्व लेखांकन प्रणाली द्वारा रखा और नियंत्रित किया जाता है। एएएसएल की उड़ानों की बिक्री और विपणन, एआईएल के एक ही आधारिक संरचना द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इस प्रकार कम्पनी द्वारा एअर इंडिया (मूल/होल्डिंग कम्पनी) द्वारा प्रयोग में लाई जा रही राजस्व लेखांकन आधारभूत संरचना का प्रयोग किया जा रहा है और कम्पनी द्वारा इसे विश्वसनीय पाया गया है। होल्डिंग कम्पनी द्वारा आरंभिक लेन–देन नियंत्रित किया जाता है और बेसिक रिकार्ड रखा जाता है। एआईएल द्वारा किए गए व्ययों/भुगतानों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसे एएएसएल को डेबिट किया जाता है। एआईएल में विस्तृत और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था है और यह विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाधीन भी है। एएएसएल के सभी प्रकार के लेन–देन इस नियंत्रण प्रक्रिया के अधीन हैं।
(v)	(क) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखा परीक्षा प्रणाली और प्रबंध वर्ग द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारा मत है कि अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत, एअर इंडिया के साथ व्यवस्था के अधीन कॉन्ट्रेक्ट और व्यवस्थाओं का कोई ब्यौरा, जिसकी इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टरों में प्रविष्टि करना आवश्यक है, उन्हें नहीं रखा जा रहा।	कथन सही है।
	(ख) तद्नुसार उपरोक्त खंड (क) के अनुसार रिपोर्ट उद्घाटित नहीं की गई है।	स्वतः स्पष्ट है।
(vi)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, अतः अधिनियम की धारा 58ए एवं 58एए व अधिनियम का अन्य कोई संगत प्रावधान व उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(vii)	वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य प्रबंध वर्ग द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म द्वारा किया गया जिसके द्वारा वर्ष 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। हमारे मत में आंतरिक लेखा प्रणाली को कम्पनी के व्यवसाय के आकार, इसके कार्य की प्रकृति के अनुरुप सुगठित करने की आवश्यकता है। जिससे लेन–देन, विशेषकर लीज़ तथा एटीआर/सीआरजे विमान प्रचालन से संबंधित अन्य करारों, राजस्व प्राप्ति, ईंधन लेने/भुगतान और इनवेंटरी नियंत्रण पर और लेखा परीक्षा की आवृत्ति और आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को पर्याप्त रुप से सम्मिलित किया जा सके। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को वर्ष के भीतर समय–समय पर तथा तत्पश्चात् अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	वर्ष 2013–14 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार की गई तथा आंतरिक लेखा परीक्षक के परामर्श के अनुसार सामयिक सुधार कार्रवाई कर ली गई। लेखा परीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें निरन्तर सुधार की गुंजाइश रहती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014–15 के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम को उचित रुप से परिवर्द्धित किया गया है।

<table>
<tr><th>Ø- l-</th><th>y[kk ijh{kk voykdu</th><th>i:cèke.My dh fVIif.k;k</th></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>हमें सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 209 की उप धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रख–रखाव को निर्धारित नहीं किया गया है।</td><td>कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा कम्पनी के परीक्षित किए गए रिकार्डों के अनुसार, अविवादित सांविधिक देय, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और अन्य लागू संवैधानिक देयताएं शामिल हैं, उपयुक्त प्राधिकरणों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा करवाई जा रही हैं तथापि स्रोत पर कर की गैर कटौती और गैर जमा के मामले देखने में आए हैं। साथ ही स्रोत पर की गई कर कटौती व सेवा कर को देरी से जमा किया गया। सीमा शुल्क का भुगतान एअर इंडिया लि. द्वारा हैंडल किया जाता है। परन्तु एअर इंडिया लि. से हमें इसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है कि वर्ष के अंत में कोई अविवादित देय लंबित है या नहीं। गैर–कटौती, गैर–जमा व जमा में देरी के प्रभाव का अभिनिश्चयन कर लेखों में नहीं दर्शाया गया है।</td><td>स्वतः स्पष्ट है।

कर भुगतान के कुछ मामलों में देरी, निधियों की कमी के कारण हुई है लेकिन तद्नुसार लागू ब्याज राशि सहित विधिवत रूप से जमा करवाई गई। नोट सं. 25 में दी गई फुटकर देयताओं के अलावा कोई भी अविवादित लागू सांविधिक देय नहीं हैं।

विमान के पूर्जों के आयात मुख्यतः सीमा शुल्क अधीन नहीं हैं। इस संबंध में एअर इंडिया द्वारा किसी अविवादित देय की बाबत सूचित नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को आयकर के निम्नलिखित विवादित देय के अलावा, जिन्हें वित्तीय विवरणियों में नोट सं. 25 (1) में दिखाया गया है, के अतिरिक्त वर्ष के अंत में सम्पत्ति कर, सेवा कर, सेस, बिक्री कर हेतु कोई विवादित देय और अन्य सांविधिक देय बकाया और अप्रदत्त नहीं हैं।
<table>
<tr><th>n;; dh fLFkfr vkj i:dfr</th><th>jkf'k ¼#- yk[k e½</th><th>l:cfèkr jkf'k vofèk</th><th>ftl Qkje d: ikl fookn y:fcr g</th></tr>
<tr><td>आयकर मांग</td><td>140.44</td><td>वर्ष 1997–1998</td><td>आईटीएटी को अपील के पुनः स्थापन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है।</td></tr>
<tr><td>आयकर मांग</td><td>174.31</td><td>वर्ष 2000–2001</td><td>आईटीएटी के पास अपील लंबित</td></tr>
<tr><td>आयकर दण्ड यू/एस 271(1)(सी)</td><td>31.99</td><td>वर्ष 2004–2005</td><td>सीआईटी (ए) के पास अपील लंबित</td></tr>
<tr><td>आयकर मांग</td><td>4425.04</td><td>वर्ष 2008–2009</td><td>आईटीएटी के पास अपील लंबित</td></tr>
<tr><td>आयकर मांग</td><td>10146.27</td><td>वर्ष 2010–2011</td><td>आईटीएटी के पास अपील लंबित</td></tr>
<tr><td>आयकर मांग</td><td>1121.00</td><td>वर्ष 2011–2012</td><td>सीआईटी (ए) के पास अपील लंबित</td></tr>
<tr><td>टीडीएस</td><td>341.46</td><td>वर्ष 2011–2012</td><td>आयकर मांग और टीडीएस विभाग</td></tr>
</table>
साथ ही सीमा शुल्क भुगतान की हैंडलिंग एअर इंडिया लि. द्वारा की जाती है, एअर इंडिया लि. से हमें इसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है कि वर्ष के अंत में कोई विवादित देय लंबित है या नहीं।</td><td>उपर्युक्त (ix) (क) के उत्तर को देखें।</td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>वर्ष के अंत में कम्पनी की संचित हानि है, इसका नेटवर्थ नेगेटिव है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को नकद हानि हुई है और इससे पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।</td><td>कथन सही है।
उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर (i) को भी देखें।</td></tr>
<tr><td></td><td>कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर वित्तीय संस्थानों या बैंक या डिबैन्चर धारकों को कोई राशि देय नहीं है।</td><td>कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने शेयर, डिबैन्चर या कोई अन्य प्रतिभूति को जमानत के रूप में गिरवी रख कर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।</td><td>कथन सही है।</td></tr>
</table>

Ø- l-	y[kk ijh{kk voyksdu	izca/ku dh fVIif.k;k
(xii)	हमारे मतानुसार वर्ष के दौरान कम्पनी की गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चिट फंड/निधि/म्युचल बैनेफिट फंड/सोसायटी पर लागू विशेष संविधि के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(xiii)	कम्पनी के रिकार्ड तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबैन्चर या अन्य निवेशों में कोई कारोबार नहीं कर रही है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(xiv)	कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी अन्य के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण हेतु कम्पनी ने कोई गारन्टी नहीं दी है।	कथन सही है।
(xv)	कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(xvi)	कम्पनी के रिकार्ड और हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के तुलन पत्र के सम्पूर्ण निरीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि 28,696.97 लाख रु. की निधि, चालू परिसम्पत्तियों पर चालू देयताओं की अधिकता के रूप में लघु अवधि आधार पर जुटाई गई जिसे कम्पनी की प्रचालनात्मक हानि के निधिकरण के लिए प्रयोग किया गया है।	कम्पनी, एअर इंडिया लि. (एआईएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी है। मूल कम्पनी एआईएल, कम्पनी के प्रचालन में सहयोग करती आयी है। लाभ–हानि लेखा विवरणी के अनुसार कम्पनी को हानि हुई है। चालू परिसम्पत्तियों पर चालू देयताओं की अधिकता में वृद्धि में, आईएएल के साथ हुए लेन–देन के कारण 29040.47 लाख रु. की वृद्धि भी शामिल है। अतः यह मूल कम्पनी आईएएल के सहयोग को दर्शाती है। शेष, चालू परिसम्पत्तियों पर चालू देयताओं की अन्य मदों के अंतर में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है।
(xvii)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(xviii)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई डिबैन्चर जारी नहीं किए गए हैं। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(xix)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से धन एकत्र नहीं किया है। तद्नुसार इस खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।	कथन सही है।
(xx)	कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कम्पनी पर या कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने की सूचना या रिपोर्ट होने के ब्यौरे हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार लेखा पुस्तिकाओं की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान और प्रबंध वर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने कम्पनी पर हुई या कम्पनी द्वारा की गई धोखाधड़ी का कोई भी मामला वर्ष के दौरान न देखा, या नोटिस किया या रिपोर्ट किया और न ही प्रबंध वर्ग द्वारा हमें इस प्रकार के मामले की कोई सूचना दी गई है।	स्वतः स्पष्ट है।

31 ekp] 2014 dh fLFkfr d vuqlkj rqyu&i=

¼vkdM #i;s e½

	fooj.k	uksV l-	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
I	bfDoVh vkj nf;rk,a			
(1)	'ks;j /kkjdks dk fuf/k			
क)	शेयर पूंजी	2	**22,500,000**	22,500,000
ख)	आरक्षित एवं अधिशेष	3	**(10,804,154,927)**	(8,310,184,143)
ग)	शेयर अधिपत्र पर प्राप्त रकम		**-**	-
(2)	vkcVu gsrq yfcr 'ks;j vkonu jde		**-**	-
(3)	xSj&pkyw nf;rk,a		**-**	-
क)	दीर्घावधि ऋण		**-**	-
ख)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	**322,548,326**	322,898,326
ग)	दीर्घावधि प्रावधान	5	**35,633,110**	31,674,801
(4)	pkyw nf;rk,a		**-**	-
क)	लधु अवधि ऋण		**-**	-
ख)	व्यापार देय	6	**2,603,375,930**	2,758,961,556
ग)	अन्य चालू देयताएं	7	**9,072,090,700**	6,292,092,362
घ)	लघु अवधि प्रावधान		**-**	-
	dqy		**1,251,993,139**	1,117,942,902
II	ifjlEifRr;ka			
(1)	xSj pkyw ifjlEifRr;ka			
क)	स्थिर परिसम्पत्तियां			
(i)	मूर्त परिसम्पत्तियां	8	**3,887,520**	4,721,336
(ii)	अमूर्त परिसम्पत्तियां		**-**	-
(iii)	पूंजीगत कार्य–प्रगति पर		**-**	-
(iv)	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		**-**	-
ख)	गैर चालू निवेश		**-**	-
ग)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	9	**85,583,204**	84,855,770
घ)	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	10	**11,369,830**	11,372,981
¼2½	pkyw ifjlEifRr;ka			
क)	चालू निवेश			
ख)	इनवेंटरी	11	**1,861,646**	27,990,200
ग)	व्यापार प्राप्य	12	**950,842,525**	801,107,935
घ)	नकद और नकद समकक्ष	13	**54,528,795**	833,837
च)	लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	14	**89,641,141**	119,518,792
छ)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	15	**54,278,478**	67,542,051
	dqy		**1,251,993,139**	1,117,942,902

नोट सं. 1 की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व

उपर्युक्त सन्दर्भित नोट इन वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

dqrs pUnz xqIrk ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00295एन

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 02195896

हस्ता./–
'kQkyh tqustk
निदेशक
डीआईएन सं. 06474542

हस्ता./–
vjfoUn dBikfy;k
मुख्य प्रचालन अधिकारी, एएएसएल

हस्ता./–
,l-lh- xqIrk
पार्टनर
सदस्यता सं.: 013465

हस्ता./–
,-d- flUgk
का. नि. (वित्त एवं कार्मिक)

हस्ता./–
xxu c=k
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मार्च 2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 फरवरी 2015

31 ekp] 2014 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk&gkfu [kkrk

¼vkdMs #i;s esa½

	fooj.k	ukV l-	31 ekp] 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
I.	प्रचालन राजस्व	16	**2,416,895,538**	2,694,174,678
II.	अन्य आय	17	**7,008,331**	(1,550,393)
III.	dqy jktLo **(I+ II)**		**2,423,903,869**	2,692,624,285
IV.	*व्यय*			
	उपभुक्त सामग्री की लागत/प्रचालन व्यय	18	3]292]160]996	3,408,208,586
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	**471,238,244**	508,712,546
	वित्तीय लागत	20	**765,136,606**	9,141,994
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		**1,019,907**	3,143,447
	अन्य व्यय	21	**368,435,755**	200,243,991
	पूर्वावधि व्यय	22	**55,554,284**	12,627,787
	dqy 0;;		**4,953,545,792**	4,142,078,351
V.	असाधारण व असामान्य मदें व कर से पूर्व लाभ (III-IV)		**(2,529,641,923)**	(1,449,454,066)
VI.	असाधारण मदें	23	**35,671,138**	115,597,599
VII.	असामान्य मदें और कर से पूर्व लाभ (V+VI)		**(2,493,970,785)**	(1,333,856,467)
VIII.	असामान्य मदें		-	-
IX.	कर से पूर्व लाभ (VII-VIII)		**(2,493,970,785)**	(1,333,856,467)
X.	कर व्यय			
	(क) चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		-	-
	(ख) पूर्व वर्ष से संबंधित चालू कर व्यय		-	-
	(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/(देयताएं)		-	-
XI.	निरन्तर प्रचालन से अवधि हेतु लाभ (हानि)		**(2,493,970,785)**	(1,333,856,467)
XII.	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(2,493,970,785)**	(1,333,856,467)
XIII.	प्रति इक्विटी शेयर आय	24		
	(1) बेसिक		**(11,084)**	(5,928)
	(2) डायल्यूटिड		**(11,084)**	(5,928)

नोट सं. 1 की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व
उपर्युक्त सन्दर्भित नोट इन वित्तीय विवरणियों का अविभाज्य भाग हैं।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

dtrs pUnj xqIrk ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00295एन

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 02195896

हस्ता./–
'kQkyh tqust k
निदेशक
डीआईएन सं. 06474542

हस्ता./–
vjfoUn dBikfy;k
मुख्य प्रचालन अधिकारी, एएआईएसएल

हस्ता./–
,l-lh- xqIrk
पार्टनर
सदस्यता सं.: 013465

हस्ता./–
,-d- fl?ky
का. नि. (वित्त एवं कार्मिक)

हस्ता./–
xxu c=k
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मार्च 2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 फरवरी 2015

31 ekp] 2014 dks lekIr o"kZ dk fy, udnh izokg fooj.kh

¼jkf'k #i;s esa½

	2013&2014			2012–2013		
d½ izpkyu xfrfof/k;ksa ls udnh izokg						
क) लाभ–हानि खातों के अनुसार कर से पूर्व लाभ/(हानि)		(2,493,970,785)			(1,333,856,466)	
ख) जमा:– निम्नलिखित के लिए समायोजन						
1. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,019,907			3,143,447		
2. प्रावधान/गैर दावा देयताएं–रिटन बैक	(23,960,083)			(115,597,599)		
3. बट्टे खाते डाली गई स्थिर परिसम्पत्तियां	-			3,194,402		
4. ब्याज भुगतान	765,136,606			9,141,994		
5. अर्जित ब्याज	7,008,331			(1,644,009)		
6. पूर्वावधि समायोजन (निवल)	55,554,284			12,627,787		
7. हिस्से पूर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	91,824,503			10,193,221		
8. संदेहास्पद ऋण और अग्रिम (निवल) के लिए प्रावधान	-	896,583,548			(78,940,757)	
ग) कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)		(1,597,387,273)			(1,412,797,224)	
जमा : प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन						
इनवेंटरी	(65,695,950)			7,876,705		
व्यापार प्राप्य	(149,734,590)			(168,371,000)		
लघु अवधि ऋण और अग्रिम	29,877,651			8,843,299		
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	(727,434)			(2,262,473)		
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	13,263,573			(96,000)		
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	3,151			458,444		
जमा: प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन						
व्यापार देय	(131,625,544)			502,986,733		
अन्य चालू देयताएं	2,779,648,338			1,145,711,751		
अन्य दीर्घावधि देयताएं	-			432,500		
लघु अवधि प्रावधान	-			1,687,704		
दीर्घावधि प्रावधान	3,958,309	2,478,967,505		(64,762,491)	1,432,505,173	
घ) प्रचालन से प्राप्त नकदी						
पूर्वावधि समायोजन (निवल)		(55,554,284)			(12,627,787)	
ड.) izpkyu xfrfof/k;ksa ls fuoy udn			**826,025,983**			**7,080,162**
[k½ fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg						
क) स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	(186,090)			(343,371)		
ख) एअर इंडिया लि. को स्थिर परिसम्पत्तियां का हस्तांतरण	-			347,988	–	
x½ ब्याज आय	(7,008,331)	(7,194,421)	**(7,194,421)**	1,644,009	1,648,626	**1,648,626**
x½ foÙkh; xfrfof/k;ksa ls udnh izokg						
क) ब्याज भुगतान	(765,136.606)	(765,136,606)	**(765,136,606)**	(9,141,994)	(9,141,994)	**(9,141,994)**
?k½ Ukdn vkj udn led{k esa fuoy of) ¼d+[k+x½			**53,694,958**			**(413,206)**
M-½ o"kZ dh vkjEHk esa udn vkj udn led{k			**833,837**			**1,247,043**
p½ o"kZ dh vUr esa udn vkj udn led{k ¼M-+?k½			**-**			**833,837**

टिप्पणी: उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरणी पर एएस–3 (संशोधित 1997) के अनुरुप ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के तहत तैयार की गई है। जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

हमारी समितिथि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित यह नकदी प्रवाह विवरणी है।

dsrs pUnz xqIrk ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00295एन

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 02195896

हस्ता./–
'kQkyh tqustk
निदेशक
डीआईएन सं. 06474542

हस्ता./–
vjfoUn dBikfy;k
मुख्य प्रचालन अधिकारी, एएएसएल

हस्ता./–
,l-lh- xqIrk
पार्टनर
सदस्यता सं.: 013465

हस्ता./–
,-d- flU?kq
का. नि. (वित्त एवं कार्मिक)

हस्ता./–
xxu c=k
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मार्च 2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 फरवरी 2015

31 ekp 2014 dk lekIr o"k d y[kk d Hkkx d :i e vulfp;k

ukV ^1** % ie[k y[kkdu uhfr;k

1-1 y[kkdu 0;oLFkk vkj y[kkdu dk vk/kkj

यह वित्तीय विवरण मूल लागत रीतियों के तहत प्रोद्भूत आधार पर गोईंग कन्सर्न अवधारणा पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को धारा 211 (3सी) [कम्पनियां (लेखा मानक) यथा संशोधित नियम 2006] और कम्पनी अधिनियम 1956 के संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार सभी आर्थिक पहलुओं का अनुसरण करने हेतु तैयार किया गया है।

सभी परिसम्पतियों और देयताओं को कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेवाओं की प्रकृति के आधार पर कम्पनी ने परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपना सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने का अभिनिश्चित किया है।

1-2 fLFkj ifjlEifÙk;k

कम्पनी के विमान, प्रचालन लीज़ पर हैं।

परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा अधिग्रहण मूल्य के आधार पर किया गया है। एअर इंडिया लि. द्वारा हस्तांतरित परिसम्पत्तियों को प्रभारित नामे में पूंजीकृत किया जा रहा है।

परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन दो वर्ष में एक बार अर्थात द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है।

1-3 eY;gkl

मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर लगाया जाता है। 5,000/–रु. व उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों पर उनके अधिग्रहण के वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। लीज़ पर लिए गए सीआरजे एवं एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, प्रयोग की तिथि से विमान लीज़ की समाप्ति पर वसूली मूल्य शून्य मानकर, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित है।

1-4 jktLo fu/kkj.k

यात्री राजस्व का निर्धारण यात्रा करने वाले यात्रियों की उड़ान कूपन रिपोर्ट आधार पर किया जाता है, जो प्राप्त राजस्व को दर्शाते हैं। अतिरिक्त सामान, डाक एवं कार्गो हेतु राजस्व की गणना वहां लागू दरों के अनुसार एअर इंडिया लि. द्वारा क्रेडिट किए गए राजस्व के आधार पर की जाती है। मालभाड़ा और चार्टर राजस्व मालभाड़ा/चार्टर घंटों के अनुसार, प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किए गए हैं, इनमें पार्टी पर दावे शामिल नहीं हैं जो निपटान आधार पर लेखांकित किए जाते हैं।

1-5 lnsgkLin _.kk d fy, iko/kku

सरकार, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान तभी किया जाता है जब ये विशेषरूप से संदेहास्पद समझे गए हों। अन्य सभी व्यापार प्राप्य का प्रावधान तभी किया जाता है जब वे या तो तीन वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया हों या उन्हें विशेषकर संदेहास्पद समझा गया हो।

1-6 minku vkj NVVh dk udnhdj.k

प्रबंध वर्ग द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों के लिए पूरे किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष या उसके भाग के रुप में छः महीने से अधिक अवधि के सेवाकाल के लिए 15 दिन के मूल वेतन के अनुसार प्रोद्भवन/वास्तविक आधार पर उपदान का प्रावधान किया गया है। कॉकपिट क्रू वर्ष में एक बार अधिकतम 30 दिन की व अन्य कर्मचारी अधिकतम 15 दिन की विशेषाधिकार (पी.एल.) छुट्टी नकदीकरण कराने के पात्र हैं।

1-7 if'k{k.k iHkkj

रि–कनवर्ज़न व प्रशिक्षण प्रभार को व्यय किए जाने के वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

1-8 iokof/k yu&nu

पूर्वावधि से संबंधित 10,000/–रु. से अधिक के एकल मदों से संबंधित लेन–देन को, लेन–देन किए जाने के वर्ष में आईसीएआई के लेखा मानक 5 के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

1-9 buoVjh

(क) वर्ष के अंत में स्टॉक में उपलब्ध विमान के पूर्जों (नॉन रोटेबल) को भारित औसत लागत पर दर्शाया गया है और विमान के पूर्जे (रोटेबल), औजार, मार्गस्थ माल, उपभोज्य भंडार मदें (केटरिंग ड्राई स्टोर, मुद्रण व लेखन सामग्री, वर्दी आदि) और विमानन टर्बाइन ईंधन को लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) स्टॉक रखे जाने की तिथि से और लीज़ के समापन पर, उपभोग के रूप में प्रभारित निवल वसूली, यदि कोई है, विमान के कुल लीज़ माह में से विमान रोटेबल तथा विशेष उपकरणों के अप्रचलन का प्रावधान, वार्षिक आधार पर, पूर्ण किए गए विमान लीज़ माह पर अंतिम स्टॉक के अनुसार किया जाता है। इसके साथ–साथ एफडीआई सहित विमान नॉन रोटेबल तथा विमान के कुल लीज़ माह पर पूरे किए गए लीज़ माह के आधार पर रोटेबल पर भी अंतिम स्टॉक पर अप्रचलन का प्रावधान किया गया है।

1-10 fuiVku d vk/kkj ij y[kkdu

निम्नलिखित मामलों में लेखांकन का निपटान आधार अपनाया गया है :–

(क) 10,000 रु. तक की एकल मदों तक पूर्वप्रदत्त/प्रोद्भूत व्यय के लिए।

(ख) एअर इंडिया लि. से प्रतिनियुक्ति और अन्य प्रतिनियुक्तियों के वेतन समझौतों से होने वाले देय बकायों के लिए।

(ग) सप्लायर और अन्य पार्टियों से/को ब्याज और अन्य दावे।

1-11 fon'kh enk yu&nu

(क) अगले माह हेतु विदेशी मुद्रा देयताओं और परिसम्पत्तियों का लेखा, बैंकों की पिछले माह की आरम्भिक बिक्री दर व माह के अंत में बिक्री दर की औसत के आधार पर किया गया है।

(ख) भुगतान की तिथि पर विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण यदि कोई अंतर आया है, तो उसे एएस–11 (संशोधित) के अनुसार लाभ–हानि खाते में स्थानांतरित किया गया है।

(ग) विदेशी मुद्रा की देयताएं वर्ष के अन्त में ''बैंकर सेलिंग रेट'' के आधार पर पूनर्मूल्यांकित की गई हैं। पूनर्मूल्यांकन के बाद आए अंतर को लाभ–हानि खाते में स्थानांतरित किया गया है।

1-12 vunku d fy, y[kk@ofyfMVh xi QfMx ¼oh th,Q½

अनुदानों/वीजीएफ को विमान लीज़ महीनों की स्वीकृत अवधि के लिए यथानुपात आधार पर अन्य आय में गिना गया है।

1-13 iko/kku] QVdj nr,] vkj QVdj ifjlEifÙk;k_

(क) जिन प्रावधानों में मूल्यांकन विशेष अनुमान संबंद्ध होते हैं, उन्हें तब मान्य किया जाता है जब पूर्व स्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऋण हो और इस कारण संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना रहती है।

(ख) जब पूर्व स्थिति के कारण संभाव्य ऋण होने पर प्रत्येक मामले में फुटकर देयताओं का प्रकटन किया जाता है। परन्तु उनके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य में एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या ना होने पर होती है, जो कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है।

(ग) फुटकर परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणियों में न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट।

1-14 yht@vkifrdrk d ØfMV

लीज़कर्ता/आपूर्तिकर्ता के प्राप्त क्रेडिट, जो सामान्य लीज़ और अनुरक्षण करार से उद्भूत नहीं हैं, को प्राप्ति के वर्ष की आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

1-15 vU; nr,

तीन वर्ष से अधिक पुरानी देयताओं को रिटन बैक किया जाता है, बशर्ते की ऐसी देयताएं भविष्य में देय न समझी गयी हों।

1-16 ipkyu yht

ऐसी लीज़ में जहां लीज़कर्ता प्रभावी रूप से लीज़ परिसम्पति के सभी जोखिम और प्रतिफल अपने पास रखता है, उन्हें प्रचालन लीज़ में वर्गीकृत किया गया है और लीज़ के लिए देय किराए को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ukV l- ^^2^^ % 'ks;j iwath

¼vkdM+s #- eas½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रू. प्रत्येक के 5,00,000 इक्विटी शेयर	**50,000,000**	50,000,000
	50,000,000	50,000,000
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रू. प्रत्येक के 2,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**22,500,000**	22,500,000
dqy	**22,500,000**	22,500,000

2 d½ 'ks;jksa dh l[;k dk lekèkku

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	**225,000**	225,000
जोड़करः जारी इक्विटी शेयर	**-**	-
घटाकरः रीडिम किए इक्विटी शेयर	**-**	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	**225,000**	225,000

2 [k½ bfDoVh 'ks;j%

इक्विटी शेयरः– कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है, लाभांश के भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है। कम्पनी के समापन पर इक्विटी शेयरधारक सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के पश्चात अपने स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में कम्पनी की बाकी बची परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2 x½ gksfYMax dEiuh ds fu;a=.k esa bfDoVh 'ks;j

2,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 2,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी एअर इंडिया और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)

कम्पनी की शेयर पूंजी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है।

2 ?k½ 5% ls vfèkd bfDoVh 'ks;j j[kus okys 'ks;jèkkjdksa dk C;kSjk

'ks;jèkkjd dk uke	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कम्पनी और उसके नामिती (होल्डिंग कम्पनी की ओर से)	**225,000**	225,00
शेयरों की सं.	**225,000**	225,000
स्वामित्व का प्रतिशत	**100%**	100%

ukV l- ^^3^^ % vkjf{kr vkSj vfèk'ks"k

¼vkdM+s #- eas½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
लाभ–हानि खाते में अधिशेष/(घाटा)		
प्रांरभिक शेष	**(8,310,184,142)**	(6,976,327,677)
जोड़करः लाभ/(हानि) वर्ष के लिए	**(2,493,970,785)**	(1,333,856,466)
अंतशेष	**(10,804,154,927)**	(8,310,184,143)
dqy	**(10,804,154,927)**	(8,310,184,143)

ukV l- ^^4^^ % vU; nh?kkZofèk n;rk,i

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
– सुरक्षा जमा	**322,548,326**	322,898,326
dqy	**322,548,326**	322,898,326

ukV l- ^^5^^ % nh?kkZofèk izkoèkku

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
– उपदान देयताओं के लिए प्रावधान	**35,633,110**	31,674,801
dqy	**35,633,110**	31,674,801

ukV l- ^^6^^ % O;kikj ns;

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
व्यय हेतु प्रावधान –ईंधन एवं तेल	**172,788,945**	176,484,453
व्यय हेतु प्रावधान– अवतरण एवं पार्किंग	**220,168,152**	208,218,318
व्यय हेतु प्रावधान–हैंडलिंग	**-**	11,459,997
व्यय हेतु प्रावधान– भंडार एवं पूर्जे	**38,349,914**	-
व्यय हेतु प्रावधान–अन्य (व्यापार)	**61,475,893**	81,755,245
वेंडर –भारत–समाधान खाता	**1,913,244,116**	1,807,483,356
वेंडर –विदेश–समाधान खाता	**197,348,910**	473,560,186
dqy	**2,603,375,930**	2,758,961,555

ukV l- ^^7^^ % vU; pkyw ns;rk,i

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
ग्राहक से अग्रिम	**77,585,885**	34,329,854
अन्य (निवल)	**483,600,214**	650,904,787
एअर इंडिया लि. (होल्डिंग कम्पनी) निवल	**8,510,904,601**	5,606,857,721
dqy	**9,072,090,700**	6,292,092,362

ukV l- ^8^ % fLFkj ifjlEifÙk;k¡ ,oa eY;gkl dk fooj.k

jkf'k #- ea

fooj.k	vuqlwph XIV ds vuqlkj eY;gkl dh nj	1-4-2013 dks Lkdy Cykd	2013&14 ds nkSjku tksM+s	2013&14 ds nkSjku cpsa x,@fMLdkMZ fd, x,	31-3-2014 dks Lkdy Cykd	1-4-2013 rd eY;gkl	2013&14 o"kZ ds fy, eY;gkl	fMLdkMZ dh xbZ ifjlEifÙk;ksa ij lafpr eY;gkl	31-3-2014 dks lafpr	31-3-2014 dks ldy Cykd	31-3-2013 dks Lkdy Cykd
	1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13
संयत्र और उपस्कर	4.75%	5891383	36740	0	5928123	3296548	283802	0	3580350	2347773	2594835
फर्नीचर एवं फिक्सर	6.33%	5831216	0	0	5831216	5234295	134093	0	5368388	462828	596921
वाहन	9.50%	4533680	0	0	4533680	4432202	86159	0	4518361	15319	101478
डाटा प्रौसेसिंग उपस्कर	16.21%	8714460	149350	0	8863810	8121333	214792	0	8336125	527685	593127
स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर)	नीति के अनुसार	15261819	0	0	15261819	14479305	292947	0	14772252	489567	782514
चिकित्सा उपस्कर	7.07%	271500	0	0	271500	219039	8113	0	227152	44348	52461
निपटान के लिए स्थिर परिसम्पत्तियां		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
dqy		**40504058**	**186090**	**0**	**40690148**	**35782722**	**1019906**	**0**	**36802628**	**3887520**	**4721336**
fiNys o"kZ		60,669,375	343,371	20,508,688	40,504,058	49,605,573	3,143,447	16,966,298	35,782,722	4,721,336	11,063,802

fVIi.kh%

1. वाहनों में एक कार जिसकी मूल लागत 1,72,127/– रु. और डब्ल्यू.डी.वी. रु. शून्य है, जिसका पंजीकरण इंडियन एयरलाइन्स के नाम पर है।
2. 31.03.2014 को सकल ब्लॉक में 41,24,202/– रु. (31.03.2013 को 41,03,412/–रु.) शामिल है, जिसमें 5000/– रु. से कम मूल्य की प्रत्येक परिसम्पत्ति पर 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
3. स्थिर परिसम्पत्तियों में आईए द्वारा खरीदी गई मदें सम्मिलित हैं, डेबिट के आधार पर लेखांकित।

ukV l- ^9^ % nh?kkZofèk _.k ,oa vfxze

¼vkdMs #- esa½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
आयकर व टीडीएस का अग्रिम भुगतान (कराधान हेतु प्रावधान का निवल)	**46,759,369**	46,759,369
सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	**38,823,835**	38,096,401
स्रोत पर काटा गया आयकर–भारत		
dqy	**85,583,204**	84,855,770

ukV l- ^10^ % vU; xSj pkyw ifjlEifÙk;ka

vkdMs #- esa½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया–एएएसएल चालू खाता सं.11094829072	**57,473**	60,510
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया–एएएसएल चालू खाता सं.10549873830–M	**264,668**	264,668
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया–एएएसएल चालू खाता सं.10775159792–M	**2,852,437**	2,852,437
सिंडिकेट बैंक–एएएसएल चालू खाता सं.90791010000217–M	**7,686,480**	7,686,592
सिंडिकेट बैंक–एएएसएल चालू खाता सं.90083050000024–M	**202,169**	202,169
इंडियन ओवरसीज़ बैंक–एएएसएल चालू खाता सं.076202000002129–M	**306,603**	306,603
dqy	**11,369,830**	11,372,981

ukV l- ^^11^^ % buoVjh

¼vkdM #- e½

fooj.k	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
भंडार एवं हिस्से पूर्जे	**396,027,638**	183,854,094
खुले औजार	**239,564**	2,113,783
अप्रचलन के लिए प्रावधान	**(396,729,003)**	(161,281,768)
मार्गस्थ माल	**2,323,447**	3,304,091
dy	**1,861,646**	27,990,200

ukV l- ^^12^^ % 0;kikj ikI;

¼vkdM #- e½

fooj.k	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
0;kikj ikI;] Hkqxrku dh frfFk l N% ekg l vfèkd d fy, cdk;k		
रक्षित, खरे माने गए	**-**	-
अरक्षित व खरे माने गए	**848,424,599**	803,839,131
संदेहास्पद	**-**	-
घटाकरः संदेहास्पद व्यापार प्राप्य हेतु प्रावधान	**(2,731,196)**	(2,731,196)
	845,693,403	801,107,935
vU; 0;kikj ikI;	**-**	-
रक्षित, खरे माने गए	**-**	-
अरक्षित व खरे माने गए	**105,149,122**	-
संदेहास्पद	**-**	-
घटाकरः संदेहास्पद व्यापार प्राप्य हेतु प्रावधान	**-**	-
	105,149,122	-
dy	**950,842,525**	801,107,935

ukV l- ^^13^^ % udn vkj udn lerY;

¼vkdM #- e½

fooj.k	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
i) बैंकों में शेष		
चालू खाते	**457,804**	792,348
ii) हाथ में रोकड़		
स्टाफ के पास नकद इम्प्रैस्ट	**27,989**	41,489
iii) बैंक में सावधि जमा		
(एसबीएलसी पर ग्रहणाधिकार के अधीन)	**54,043,002**	-
dy	**54,528,795**	833,837

ukV 1- ^14^ % y?kq vofèk _.k vkj vfxze

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
सुरक्षा जमा	**2,707,584**	1,864,341
नकद व अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**66,170,998**	97,659,582
कर्मचारियों को अग्रिम	**28,015**	276,978
पूर्व प्रदत्त व्यय–अन्य	**20,734,544**	19,717,891
dqy	**89,641,141**	119,518,792

ukV 1- ^15^ % vU; pkyw ifjlEifÙk;k

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
अन्य गैर व्यापार प्राप्य		
रक्षित खरे माने गए		
बकाया प्राप्तियां–वित्तीय खाते/विदेशी पार्टियां	**54,278,478**	67,542,051
dqy	**54,278,478**	67,542,051

ukV 1- ^16^ % ipkyu ls jktLo

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
1- ipkyu jktLo		
i) अनुसूचित यात्री सेवाएं		
क) यात्री	**1,945,507,331**	2,193,500,568
ख) अतिरिक्त सामान	**15,308,023**	11,789,007
ग) डाक	**638,783**	2,644,521
घ) कार्गो	**5,973,480**	13,385,087
	1,967,427,617	2,221,319,183
ii) गैर अनुसूचित –यात्री सेवाएं		
क) चार्टर	**-**	656,892
ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता	**184,641,650**	383,621,000
	184,641,650	384,277,892
2- gSMfyax] lfoZfll rFkk iklfxd jktLo		
क) प्रासंगिक	**264,826,271**	88,577,603
	264,826,271	88,577,603
dqy	**2,416,895,538**	2,694,174,678

ukV 1- ^17^ % vU; vk;

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
1. ब्याज आय		
i) बैंक ब्याज	**1,228,770**	
कॉल व साविधि जमा पर ब्याज– भारत		
ii) अन्य	**5,779,561**	1,644,009
अन्य विविध खातों पर ब्याज		
2. स्थिर परिसम्पत्तियों के विक्रय से आय (निवल)	**-**	(3,194,402)
निपटान हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों पर हानि या लाभ		
dqy	**7,008,331**	(1,550,393)

ukV l- ^^18^^ % miHkkDr lkexh dh ykxr@ipkyu 0;;

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
विमान ईंधन एवं तेल		
ईंधन (प्रचा.) – विमान – प्रदत्त ड्यूटी	**998,741,586**	1,184,606,057
बीमा		
बीमा –विमान	**19,520,149**	23,970,056
बीमा सामान्य	**32,281**	45,047
	19,552,430	24,015,103
उपभुक्त सामग्री – विमान	**52,722,177**	61,898,684
विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार		
लीज़	**876,636,668**	761,633,284
हैंडलिंग	**39,482,748**	26,630,246
अनुरक्षण	**1,152,356,351**	1,168,769,934
	2,068,475,767	1,957,033,464
मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग		
अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन	**42,920,552**	41,695,658
हाउसिंग और पार्किंग शुल्क	**9,384,572**	5,994,832
उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार	**61,546,433**	65,815,984
	113,851,557	113,506,474
यात्री सुविधाएं		
उड़ानगत व होटल उपभोज्य मदों की खपत	**175,963**	-
पैक्स सुविधाएं– स्थल पर खान–पान	**8,891,376**	8,551,293
पैक्स सुविधाएं– विमान पर खान–पान	**12,213,691**	27,312,339
पैक्स सुविधाएं– होटल व्यय	**109,827**	543,869
पैक्स सुविधाएं– समाचार पत्र और पत्रिकाएं	**690,113**	2,039,648
	22,080,970	38,447,149
अन्य संचार प्रभार		
टेलीफोन उपकरण किराया	**151,466**	198,492
पोस्टेज़ टेलीग्राम और कोरियर प्रभार	**55,112**	57,545
टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार	**1,704,402**	1,446,944
	1,910,980	1,702,982
सेवा प्रभार	**14,825,529**	26,998,674
विविध राजस्व मदों पर प्रदत्त कर–पीओ आधारित इनवेंटरी	**14,825,529**	26,998,674
dqy	**3,292,160,996**	3,408,208,586

ukV l- ^^19^^ % deipkjh ykHk 0;;

¼vkdMs #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
1. वेतन, मजदूरी और बोनस		
वेतन – भारत में कर्मचारी	**348,002,347**	335,882,129
बोनस व्यय	**2,192,174**	2,239,693
	350,194,521	338,121,822
2. क्रू भत्ते		
प्रतिघंटा भुगतान	**13,189,795**	57,742,804
विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे	**71,176,843**	74,313,682
	84,366,638	132,056,486
3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान		
सीसी भविष्य निधि– भारत में कर्मचारी	**5,599,466**	6,218,084
	5,599,466	6,218,084
4. स्टॉफ कल्याण व्यय (निवल)		
अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय	**601,207**	945,582
स्टॉफ यूनिफार्म–खपत	**43,030**	415,670
स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	**25,688,223**	26,510,894
	26,332,460	27,872,146
5. उपदान के लिए प्रावधान	**4,745,159**	4,444,008
d|y	**471,238,244**	508,712,546

ukV l- ^^20^^ % foÙkh; ykxr

¼vkdMs #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
(i) ऋण पर ऋण		
एअर इंडिया (होल्डिंग कम्पनी) ऋण पर ब्याज	**719,617,883**	-
बैंक प्रभार	**4,017,595**	3,481,272
ब्याज प्रभार–अन्य	**653,953**	3,327
	724,289,429	3,484,599
(ii) ईंधन कम्पनियों को विलम्ब भुगतान प्रभार	**39,316,883**	-
(iii) टीडीएस/सेवा कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज		
टीडीएस के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज	**230,117**	68,811
सेवा कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज	**1,300,177**	5,588,584
	1,530,294	5,657,395
d|y	**765,136,606**	9,141,994

ukV l- ^21^ % vU; 0;;

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
यात्रा व्यय	**25,619,465**	32,670,673
किराया	**16,412,820**	18,082,078
मरम्मत प्रभार	**-**	1,575,226
परिवहन का किराया	**15,276,068**	14,930,378
विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार	**1,810,245**	2,625,642
जल प्रभार	**100,000**	104,150
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**494,926**	519,846
विधिक व्यय	**21,086**	3,279
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा व्यय	**654,720**	650,000
पुनः सपुर्दगी के लिए प्रावधान एवं अन्य प्रभार	**71,373,369**	38,989,339
अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल)	**91,824,503**	10,193,221
मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	**101,663,605**	38,766,135
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय	**1,179,316**	2,620,114
डीजीसीए को शुल्क	**91,500**	144,000
कार्यालय सफाई हेतु व्यय	**28,532,449**	29,236,256
मनोरजंन व्यय–सामान्य	**294,058**	201,743
पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी	**8,015,072**	4,964,049
अन्य विविध खर्चे	**5,072,553**	3,967,862
d\y	**368,435,755**	200,243,991

ukV l- ^22^ % iokZofèk 0;;

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
पूर्वावधि व्यय	**55,554,284**	12,528,517
पूर्वावधि राजस्व	**-**	99,270
d\y	**55,554,284**	12,627,787

ukV l- ^23^ % v lkèkkj.k en

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	2013&14	2012–13
इनवेंटरी माईग्रेशन लेखा–एमआरओ	**(158,000,000)**	-
इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान (व्यय)	**146,288,945**	-
प्रावधान जो आवश्यक नहीं	**(23,960,083)**	(115,597,599)
d\y	**(35,671,138)**	(115,597,599)

ukV l- ^24^ % ifr'k;j vk; dk idVhdj.k

¼vkdM+s #- e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या	**225,000**	225,000
ख) वर्ष के अंत में भारित औसत शेयरों की संख्या	**225,000**	225,000
ग) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ (रु.)	**(2,493,970,785)**	(1,333,856,467)
घ) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रु.)	**(11,084)**	(5,928)
ड़) शेयर का अंकित मूल्य (रु.)	**100**	100

25- **I.** vkdfLed n;rk,¡ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है):–

¼#- yk[k esa½

क.	विमान लीज़ के अधीन स्टैंडबाई साख पत्र और एटीआर और सीआरजे प्रचालनों के लिए अनुरक्षण सहायता करार (एअर इंडिया लि., मूल कम्पनी की गांरटी पर आधारित)	2082-12 #- (1582.39 रु.)
ख.	कम्पनी के विरूद्ध दावे जो ऋण के रूप में नहीं लिए गए हैं :– विविध दावे (विदेश धन भेजने में विलम्ब के कारण ब्याज व निपटान हेतु शेष विधिक दावों 48.47 लाख रु. (18.55 लाख रु.) सहित)	862-11 #- (421.28 रु.)
ग.	कर निर्धारण वर्ष 1997–98 के लिए आयकर मांग सीओडी अनुमोदन के अभाव में आईटीएटी द्वारा अपील खारिज़ कर दी गई है (प्रतिवाद अधीन कुल राशि जमा की गई, अपील के पुनःस्थापन के लिए आवेदन किया गया है।)	140-44 #- (140.44 रु.)
	कर निर्धारण वर्ष 2000–01 के लिए आयकर मांग आईटीएटी को अपील के अधीन। फाइल को पुःन खोलने के लिए विविध आवेदन किया गया।	174-31 #- (174.31रु.)
	कर निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिए आयकर मांग सीआईटी (ए) को अपील के अधीन	31-99 #- (31.99 रु.)
	कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए आयकर मांग आईटीएटी को अपील के अधीन	4425-04 #- (4732.25 रु.)
	कर निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए आयकर मांग आईटीएटी को अपील के अधीन	10146-27 #- (10146.27 रु.)
	कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए आयकर मांग सीआईटी (ए) के समक्ष अपील के अधीन	1121-00 #- (रु. कोई नहीं)
घ.	341.46 लाख का टीडीएस भुगतान न किए जाने के कारण आयकर मांग	341.46 लाख रु.

II. iwathxr opucaf)rk — #- dkbZ ugha (रु. कोई नहीं)

पूंजीगत लेखा पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसकी व्यवस्था नहीं की गई।

26- आयकर की 16039-05 लाख रु. (15225.26 लाख रु.) की विवादित मांग के संदर्भ में कम्पनी की अपील, अपीलिय प्राधिकरण के पास लंबित होने के कारण कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि इसे उपरोक्तानुसार फुटकर देयताओं में दर्शाया गया है। साथ ही 6 बैंक खातों में 113.70 लाख रु. (113.73) की बैंक में शेष राशियों की आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 की मांग के विरुद्ध कुर्की कर दी गई थी।

27- foeku buosVjh %

(i) इनवेंटरी में मुख्यतः एटीआर और सीआरजे विमानों के विमान पूर्जे, रोटेबल, उपभोज्य मदें और औजार सम्मिलित हैं। इनका प्रापण कम्पनी की ओर से एअर इंडिया लि. द्वारा किया जाता है। कम्पनी की इनवेंटरी एअर इंडिया लि. द्वारा रखी/नियंत्रित की जाती है। इसलिए खपत और अंतशेष स्टॉक एअर इंडिया लि. द्वारा कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में रखे गए/नियंत्रित किए गए रिकार्ड और ब्यौरों के आधार पर हैं।

(ii) 23-23 yk[k #- (33.04 लाख रु.) की राशि के मार्गस्थ माल में हाई सी, सीमा शुल्क विभाग के पास तथा जांच के लिए लंबित मदें जिन्हें एअर इंडिया लि. के प्रमाणन के आधार पर लिया गया है, सम्मिलित हैं।

(iii) वर्ष के अन्त में विमान के पूर्जे, रोटेबल्स तथा उपभोज्य मदों के अंतिम मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क, मालभाड़ा तथा प्रासंगिक व्यय को आनुपातिक आधार पर आबंटित किया गया है। विमान पूर्जों व रोटेबल्स पर भुगतान किए गए अनाबंटित सीमा शुल्क को इनवेंटरी मूल्य का भाग बनाने के स्थान पर नकद या अन्य प्रकार से वसूली योग्य अग्रिम के अंतगर्त दर्शाया गया है।

(iv) सात एटीआर विमानों के लिए कुल 796 विमान माह और चार सीआरजे विमानों के लिए कुल 336 विमान माह के आधार पर 31.03.2014 को एटीआर और सीआरजे विमानों के लिए विमान पूर्जों, रोटेबल और विशेष औजारों पर 3967-29 yk[k #Ik, (1612.82 लाख रुपए) के अप्रचलन का प्रावधान रहा।

28- vU; pkyw n;rk,a

(i) अन्य चालू देयताओं में एअर इंडिया को देय 85109-05 yk[k #- (56068.58 लाख रु.) की राशि सम्मिलित है जो उड़ान प्रचालन से प्राप्त राजस्व आय को समायोजित करने के पश्चात् कम्पनी से/को निधियों के हस्तांतरण/संवितरण के निवल को दर्शाती है।

होल्डिग कंपनी एअर इंडिया लि. द्वारा 01.04.2013 को रोकड़ जमा व 31.03.2014 को अंतशेष के औसत पर विलंबित भुगतान के कारण ब्याज हेतु 71.96 करोड़ की राशि डेबिट की गई। उपरोक्त ब्याज की गणना 10.6 वार्षिक की दर से की गई।

(ii) कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर तुलन पत्र तैयार करने की तिथि को, छोटे, लघु और मध्यम उपक्रमों जैसा कि छोटी, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अधीन उल्लेख किया गया है, से/को बकाया रु. शून्य (रु. शून्य) है।

29- पार्टियों के साथ हुए करार के अनुसार विमान महीनों के आधार पर लीज़ पर लिए गए एटीआर और सीआरजे विमानों के लिए 31.03.2014 (2343.09 लाख रुपए) तक अनुपातिक आधार पर 1885-60 yk[k #Ik, की री–डिलीवरी लागत की गणना की गई है और इसके लिए लेखों में प्रावधान किया गया है।

30- एअर इंडिया लि. से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों का वेतन प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अनुसार है और एअर इंडिया लि. से प्राप्त नामे के आधार पर लेखांकित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के पी.एफ. सहित सेवानिवृत्ति लाभ एअर इंडिया लि. द्वारा लेखांकित किए जाते हैं। एअर इंडिया लि. से प्राप्त डेबिट में प्रतिनियुक्ति पर आए अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी प्रभार सम्मिलित किए गए हैं।

31- कंपनी का संविदात्मक कर्मचारियों के लिए अपना कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट है जिसमें नियमित रूप से अंशदान होता है।

32- (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को देय अवतरण और पार्किंग शुल्क, नेवीगेशन प्रभार, लाइसेंस फीस, विद्युत और अन्य विविध प्रभारों हेतु व्यय/देयताओं के लिए उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, सर्वोत्तम संभावित अनुमान के आधार पर प्रावधान किया गया है। खातों के अनुसार बकाया शेष 2172-12 yk[k #- और प्रावधान राशि 1878-89 yk[k रु. है। (31.03.2014 को 4051-01 yk[k रु. की कुल देयताएं बुक की गई हैं।) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ लेखों के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

(ख) तेल कंपनियों का बकाया इस प्रकार है–इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड–10288.97 लाख रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड–2421.09 लाख रुपए, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड–3162.46 लाख रुपए, रिलायंस इंड्रस्ट्री लिमिटेड–71.40 लाख रुपए और शैल एमआरपीएल एविएशन लिमिटेड–1.69 लाख रु.। उक्त तेल कंपनियों के साथ खातों के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

33- क) एटीआर उत्तर–पूर्व प्रचालन के लिए एनईसी से प्राप्त/प्राप्य, अनुदान/वीजीएफ को वर्ष के लिए एटीआर प्रचालन को ध्यान में रखते हुए आय के रूप में लेखांकित किया गया है। एनईसी द्वारा वर्ष 2012 के लिए वीजीएफ सहयोग का विरोध किया है तथापि इस मुद्दे के समाधान हेतु योजना आयोग के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि वर्ष 2012 हेतु वीजीएफ की आवश्यकता को पूरा करने के मद्देनजर एमओसीए द्वारा बजटीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।

ख) संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) द्वारा मार्च 13 से प्रभावी व वर्ष 2013–14 के लिए अगाती प्रचालन हेतु वीजीएफ की स्वीकृति दी गई है।

34- सेगमेंट रिपोर्टिंग (आईसीएआई के एएस–17 द्वारा अपेक्षित):

i) कंपनी एयरलाइन व्यवसाय करती है जो स्वयं में एकल पूर्ण व्यवसाय सेगमेंट माना जाता है। उपर्युक्त व्यवसाय हेतु सभी प्रकार की आय प्रासंगिक होती है। एयरलाइन व्यवसाय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से अर्जित राजस्व के ब्यौरे लेखों के नोट -1 में दिए गए हैं।

ii) मांग के अनुसार चार्टर उड़ानों सहित कंपनी अन्तर्देशीय मार्गों पर उड़ानें प्रचालित करती है।

iii) राजस्व अर्जन, विमानों से होता है जो प्रचालन लीज़ पर हैं। विमानों को विभिन्न सेक्टरों में लगाया गया है। भौगोलिक खण्डों में परिसम्पत्तियों के आबंटन और संबंधित देयताओं के लिए कोई यथोचित आधार नहीं है।

iv) निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रस्तुति से, व्यवसाय के निष्पादन की बेहतर समझ व जोखिम और लाभ का बेहतर आकलन होता है तथा कंपनी की सम्पूर्ण गतिविधियों के विषय में अधिक सूचनापरक निर्णय हो पाता है।

35- कम्पनी लीज़कर्त्ताओं से सीधे लीज़ पर लिए गए विमानों के द्वारा प्रचालन करती है। एअर इंडिया लि. द्वारा एलाइंस एयर की उड़ानों के लिए हैंडलिंग, विपणन, विक्रय और आरक्षण तथा अन्य सहायक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं हेतु लागू प्रभारों का विवरण, एअर इंडिया लि. के साथ 2013–14 हेतु लागू दिनांक 12/02/2014 को हस्ताक्षरित एमओयू में किया गया है।

36- कम्पनी द्वारा एअर इंडिया लि. और अन्य संबंधित पार्टियों के बीच विशेष रूप से मालवाहक चार्टरों हेतु हुए करार के अधीन एअर इंडिया लि. से लीज़ पर लिए गए मालवाहक बी–737 विमानों से मालवाहक चार्टर प्रचालन किया गया। एअर इंडिया लि. और गति के बीच हुआ करार मार्च, 2009 को गति द्वारा समाप्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप करार के अधीन गति द्वारा

एअर इंडिया लि. के पास जमा कराई गई 30 करोड़ रु. की बैंक गांरटी, एअर इंडिया लि. द्वारा मालभाड़ा बकाया होने के कारण इंवोक्ड कर ली गई। तद्नुसार बैंक गांरटी से प्राप्त राशि को मालभाड़ा बकाया में समायोजित करने के स्थान पर कम्पनी (एएएसएल) के लेखों में अलग लेखे में रखा गया है। मामला एअर इंडिया लि. और गति के बीच विवादित है। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया और एअर इंडिया लि. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में मध्यस्थता अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील दायर की गई; जोकि लंबित है। दावे/प्रतिदावे विशेषकर एअर इंडिया लि. और मैसर्स गति के पक्ष/विपक्ष में हैं चूंकि करार इन्हीं दोनों पक्षों के बीच हुआ था।

37- l cfekr ikVh idVu ¼vkbl h,vkbl d , , l&18 }kjk vif{kr½

क. होल्डिंग कंपनी	एअर इंडिया लि.
ख. सहायक/सह–सहायक/एसोसिएट्स	लागू नहीं
ग. प्रमुख प्रबंध वर्ग (31.03.2014 को)	अध्यक्ष, (श्री रोहित नन्दन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लि मुख्य प्रचालन अधिकारी एएएसएल (श्री अनिल महेता) निदेशक (श्री एस. वेंकट) निदेशक (कप्तान एस.पी.एस. सूरी) निदेशक (श्री पंकज श्रीवास्तव) निदेशक (श्री पंकज कुमार) निदेशक (डॉ. शेफाली जुनेजा) निदेशक (सुश्री पूजा जिंदल)
घ. प्रमुख प्रबंध वर्ग के संबंधी	कोई नहीं

च. वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ हुआ लेन–देन

(i) ,vj bfM;k fy.

Yku&nu dh idfr		2013&14 ¼#- yk[k esa½	2012&13 ¼#- yk[k esa½
वर्ष के अंत में भुगतान शेष		85109-05*	56068.58*
* 318.70 लाख रुपए (58.72 लाख रु.) का प्रावधान शामिल नहीं है।			
** प्रभारित ब्याज हेतु 71.96 करोड़ रु. सहित			
एअर इंडिया द्वारा स्वीकृति हेतु लंबित मदें	(डेबिट)	209-41	97.05
एअर इंडिया द्वारा स्वीकृति हेतु लंबित मदें	(क्रेडिट)	dkbl ugh	8.37
स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		dkbl ugh	0.03
स्थिर परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण		dkbl ugh	4.26
प्रदत्त सेवाओं के लिए क्रेडिट		3477-08	2309.99
प्राप्त सेवाओं व निधिकरण के लिए डेबिट		50829-07	35363.12
एजेंसी व्यवस्था:			
यातायात राजस्व (सकल)		19674-28	22213.19
घटाकरः सेवा प्रभार		¼148-26½	(269.99)
निवल यातायात राजस्व		19526-02	21943.21
लीज़िग व्यवस्थाएं:			
विमान की लीज़, हैंडलिंग तथा अनुरक्षण प्रभार		536-06	230.35
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रबंधन करार सहित (वेतन एवं भत्ते)		359-74	296.89
गारन्टियां–			
एटीआर और सीआरजे प्रचालन के लिए स्टैंडबाई साख पत्र		2082-12	1582.39
तथापि, एअर इंडिया लि. द्वारा विमान लीज़ हेतु निगमित गारंटियां भी दी गई हैं।			

(ii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लि. – पार्टी के साथ कोई लेन–देन नहीं हुआ।

(iii) वर्ष के अंत में निदेशकों या कम्पनी के अधिकारियों या उनके संबंधियों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेन देन नहीं था, जिसे प्रकट किया जाना आवश्यक हो।

38- yht y[kk ¼vkbl h,vkb d ,,l&19 }kjk vif{kr½

क) कम्पनी द्वारा अरद्दकरण प्रचालन लीज़ पर विमान लिए गए हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

foeku idkj	yht drk	rd oèk
➢ एटीआर 42–320	एबीआरआईसी लीजिंग लि.	नवम्बर, 2015
➢ सीआरजे 700	अमेंटम एयरक्राफ्ट लीज़िंग नं. टू लिमिटेड, आयरलैण्ड ग्लेडियेटर लीज़िंग लिमिटेड, माल्टा ईआईसी आयरलैंड लिजिंग लिमिटेड आयरलैंड सीआईएलएएन एमएसएन 10048 लि. आयरलैंड	अक्तूबर, 2014 जनवरी, 2015 जुलाई, 2015 मई, 2016

ख) लीज़कर्त्ताओं के साथ हुए करार के अनुसार अरद्दकरण लीज के अन्तर्गत न्यूनतम लीज़ भुगतान, भविष्य में निम्नानुसार किया जाएगा:

	foeku yht fdjk;k* ¼#- yk[k e½	jkWcy@bat u yht 'kYd* ¼#-yk[k e½	vuqj{k.k vkj vU; 'kYd* ¼#- yk[k e½
एक वर्ष से अधिक नहीं	5654-53 (6486.40)	907-01 (1018.78)	1300-89 (2272.81)
एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	2059-68 (3210.66)	400-80 (827.38)	386-47 (298.76)
पांच वर्ष से अधिक	0-00 (0.00)	0-00 (0.00)	0-00 (0.00)

* ये राशियां प्रचलित दरों के अनुसार ली गई हैं और वार्षिक समाधान आधारित हैं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रयुक्त विनिमय दर 31.03.2014 को अंतिम अमरीकी डॉलर दरें हैं।

(ग) विमान लीज़ के संबंध में विमान लीज़ किराया, अन्य लीज़ और अनुरक्षण प्रभार, चालू वर्ष के लाभ–हानि खाते में मान्य किए गए हैं।

	foeku yht ,o vuqj{k.k 'kYd #- yk[k e	vU; 'kYd #- yk[k e
एटीआर और सीआरजे	17126-43 (19211.96)	394-60 (266.30)

(घ) एटीआर और सीआरजे विमानों के लिए देय लीज़ किराया, मासिक आधार पर देय, निर्धारित लीज़ किराया है। लीज़ अवधि की समाप्ति पर विमानों की खरीद का कोई विकल्प नहीं है। लीज़कर्ता की पूर्व सहमति से विमानों को सब लीज़ किया जा सकता है।

39- ifr 'k;j vk;%

(ईपीएस की गणना – बेसिक और डाइल्यूटिड)

	2013&14	2012–13
i) वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (रु.)	¼2]493]316]072½	(1,333,856,467)
ii) वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	225000	225000
iii) प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	100	100
iv) ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटिड (रु.)	¼11081-40½	(5,928.25)

चूंकि कम्पनी के पास कोई डाइल्यूटिड प्रतिभूति नहीं है, प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटिड आय समान है।

40- आस्थगित कराधान लेखा (आईसीएआई के एएस–22 द्वारा अपेक्षित):

कम्पनी को हाल ही में हो रही हानि के इतिहास को देखते हुए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को जारी किया जा सके। अतः इसे खातों में लेखांकित नहीं किया गया है।

41- परिसम्पत्तियों की क्षति (एएस–28): कम्पनी के पास नकदी उत्पादक कोई परिसम्पत्ति नहीं है। कम्पनी की प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाली परिसम्पत्ति, विमान बेड़ा है जिसे प्रचालन लीज़ पर लिया जाता है। कम्पनी के मूल्यांकन के अनुसार, इस वर्ष के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है। अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों के मामले में, अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों का द्विवार्षिक सत्यापन किया जाता है और तद्नुसार खातों में समायोजन किया जाता है।

42- प्रबंधवर्ग के मतानुसार, स्थिर परिसम्पत्तियों के अलावा किसी भी अन्य परिसम्पत्ति का वसूली मूल्य होता है, व्यवसाय में सामान्य तौर पर कम से कम दर्शाये गए मूल्य के बराबर तो होता ही है। जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए।

43- पार्टियों के साथ लेखे समाधान तथा पुष्टिकरण पर आधारित हैं।

44- आंकड़े रुपए के निकटतम पूर्णाकों में लिए गए हैं।

45- वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सैप लेखा पद्धति में कार्य करना आरंभ किया गया जिसके तहत पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहिकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

46- पिछले वर्ष के आंकड़ों को नोट में कोष्ठकों में दिखाया गया है।

47- vfrfjDr lpuk

निम्नलिखित सूचना में एअर इंडिया लि. द्वारा डेबिट की गई राशि और विदेशी मुद्रा में मानित व्यय और आय को शामिल किया गया है।

		pkyw o"kZ ¼#- yk[k e½	पिछले वर्ष (रु .लाख में)
क)	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात पर व्यय (सीआईएफ)		
	– विमान पूर्जे और औजार	1059-00	488.76
	–पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर	dkbZ ugha	कोई नहीं
ख)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय		
	– आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट	537-82	599.51
	– स्वदेशी पूर्जे	dkbZ ugha	कोई नहीं
ग)	विदेशी मुद्रा में आय – इंटरलाइन राजस्व	miyC/k ugha	174.80
घ)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	– विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार	16682-78	14641.60
	– भंडार और उपस्करों की खरीद	1059-00	488.76
	– तकनीकी साहित्य	73-11	29.92
	– प्रशिक्षण और यात्रा (फेरी सहित)	398-15	344.18
	– तकनीकी सेवाएं	711-77	757.04

[(उपरोक्त जानकारी (क से घ तक) प्रबंधवर्ग द्वारा प्रमाणित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वसनीय पाई गई),]

48- कम्पनी द्वारा अभिज्ञात विदेशी मुद्रा अरक्षितता जिसकी प्रतिरक्षा व्युत्पन्न साधन या अन्य प्रकार से निम्नानुसार नहीं की गई है।

fooj.k	eqnzk dk izdkj fons'kh eqnzk ;w,l Mkyj	31 ekpZ 2014 Hkkjrh; #- eqnzk esa
व्यापार देय	3845047.15	232586902.00

लेखा परीक्षा रिपोर्टः

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

d`rs pUnz xqIrk ,.M ,lksfl,V~l	बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से		
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
फर्म पंजीकरण सं.: 00295एन	jksfgr uUnu	'kQkyh tqusnk	vjfoUn dBikfy;k
	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य प्रचालन अधिकारी, एएएसएल
	डीआईएन सं. 02195896	डीआईएन सं. 06474542	
हस्ता./–			
,l-lh- xqIrk	हस्ता./–	हस्ता./–	
पार्टनर	,-ds- fl?ky	xxu c=k	
सदस्यता सं.: 013465	का. नि. (वित्त एवं कार्मिक)	कम्पनी सचिव	
स्थान : नई दिल्ली	स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक : 16 मार्च 2015	दिनांक : 26 फरवरी 2015		